कीमतें और महँगाई

05
अध्याय

वर्ष 2013-14 के बाद से सीपीआई-सी मुद्रास्फीति कम हो गई है हालांकि, 2020 में मुद्रास्फीति की गति में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति कोविड-19 की वजह से लागू किये गये लॉकडाउन अवधि के दौरान सबसे अधिक रही और बाद में आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण यह उच्चतर स्थिति बनी रही। मुद्रास्फीति की दर बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों का आसमान छूना है, जिसमें वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 9.1% की वृद्धि हुई। कोविड-19 की वजह से उत्पन्न व्यवधानों की वजह से, कीमतों की गति में समग्र वृद्धि देखने को मिली, जिसकी वजह से अप्रैल 2020 से ही मुद्रास्फीति की गति तीव्र बनी रही, जबकि सकारात्मक आधार प्रभाव एक मध्यम कारक रहा है। ग्रामीण-शहरी सीपीआई मुद्रास्फीति जो वर्ष 2019 में अधिक थी, उसमें नवंबर 2019 से गिरावट देखी गई जो 2020 में जारी रही। वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर) में पिछले वर्ष की इसी अवधि में (-) 0.3 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत की तुलना में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच रही। सर्वेक्षण से पता चला है कि CPI-C मुद्रास्फीति पर एकमात्र फोकस चार कारणों से उपयुक्त नहीं हो सकता है। पहला, खाद्य मुद्रास्फीति, जिसका CPI-C में महत्वपूर्ण योगदान है, प्राथमिक रूप से आपूर्ति-पक्ष कारकों द्वारा नियोजित है। दूसरा, मौद्रिक नीति के लिए मुख्य लक्ष्य के रूप में इसकी भूमिका को देखते हुए, CPI-C में परिवर्तन मुद्रास्फीति संभावनाओं को नियंत्रित करते हैं। यह आपूर्ति पक्ष कारकों द्वारा नियोजित किए जाने वाले CPI-C में मुद्रस्फीति के बावजूद होता है जो खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित करता है। तीसरा, खाद्य मुद्रास्फीति के अनेक घटक खाद्य और पेय समूह में विस्तृत अंतर सहित पारगमनीय है। अंततः सूचक में खाद्य मदों के सापेक्षित उच्च भार के कारण, खाद्य मुद्रास्फीति व्यापक CPI-C मुद्रास्फीति को संचालित करती रही है। जबकि 2011-12 से जो CPI का आधार वर्ष है, पिछले दशक में खाद्य आदतों में बदलाव आये हैं, यह अभी तक सूचक में नजर नहीं आया है। इसलिए CPI के आधार वर्ष में संशोधन की आवश्यकता है ताकि माप त्रुटि दूर की जा सके जो खाद्य आदतों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही, ई-कॉमर्स लेन-देन में महत्वपूर्ण वृद्धि को देखते हुए, मूल्य सूचकांकों के निर्माण में ई-कॉमर्स लेन-देन रखने वाले मूल्य आंकड़ों के नए स्रोतों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जैसे कोविड-19 उपचार हेतु निर्णायक दवाओं को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना, संवेदनशील खाद्य मदों के मूल्य स्थिर बनाना जैसे प्याज के निर्यात पर रोक, प्याज की भंडारण सीमा निर्धारित करना, दालों के आयात पर प्रतिबंधों का आसान करना आदि। हालांकि, दालों और खाद्य तेलों की आयात नीति में बार-बार परिवर्तन के कारण भ्रम और विलम्ब उत्पन्न होता है इसलिए संवेदनशील खाद्य मदों की आयात नीति में एकरूपता की आवश्यकता है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए बफर स्टॉक नीति की समीक्षा आवश्यक है। आपूर्ति पक्ष रुकावटों से बचने के लिए, जो सब्जियों, खाद्य CPI-C में मौसमी मुद्रास्फीति लाती है, एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि बरबादी कम की जा सके और समयबद्ध रूप से भंडारण जारी किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनो थालियों के लिए मूल्य दिसंबर, 2020 में कम होने से पूर्व अप्रैल नवंबर तक तेजी से कम होने से पहले जनवरी-मार्च 2020 में काफी कम हो गए थे। CPI-C में कमी से थाली के बढ़ते मूल्यों में कमी आने की संभावना

परिचय

5.1 कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न वैश्विक सामाजिक संकट द्वारा वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने की वजह से वर्ष 2020 अभूतपूर्व था। घरेलू मोर्चे पर, दो विपरीत शक्तियाँ कार्य कर रही थी। एक तरफ, तो निम्न आर्थिक गतिविधियों के कारण मांग की दर कम हो गई थी। दूसरी तरफ, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होने की वजह से, खाद्य मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई जो अर्थव्यवस्था के खुलने के दौरान भी जारी रही, हालाँकि हाल के महीनों में इसका प्रभाव मंद हुआ है। कुल मिलाकर, लॉकडाउन अवधि के दौरान और बाद में भी हैडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति की दर अधिकतम बनी रही, और इसका कारण आपूर्ति के पक्ष में व्यवधान उत्पन्न होना था (तालिका 1)। कोविड-19 के प्रकोप और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल की कीमतों में और तेज गिरावट के परिणामस्वरूप सुस्त आर्थिक गतिविधियों की वजह से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति का स्वरूप कमजोर बना रहा। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में, कमजोर आर्थिक गतिविधियों के कारण मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट आई, हालांकि मुद्रास्फीति के पिछले वर्ष (आईएमएफ, 2020) (चित्र 1) के समान स्तर पर समाप्त होते हुए भी कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में तेजी आई है।

तालिका 1: विभिन्न मूल्य सूचकांकों के आधार पर सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	2013.14	2014.15	2015.16	2016.17	2017.18	2018.19	2019.20	2020.21'
डब्ल्यूपीआई	5.2	1.2	–3.7	1.7	3.0	4.3	1.7	–0.1 (P)
सीपीआई-सी	9.4	5.9	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.6 (P)^
सीपीआई-आईडब्ल्यू	9.8	6.4	5.6	4.2	2.9	5.6	7.3	5.5#
सीपीआई-एएल	11.6	6.6	4.4	4.2	2.2	2.1	8.0	7.0
सीपीआई-आरएल	11.5	6.9	4.6	4.2	2.3	2.2	7.7	6.8

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, थोक मूल्य सूचकांक के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) प्रोत्साहन विभाग, सीपीआई-सी के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और सीपीआई-आईडब्ल्यू, सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल के लिए लेबर ब्यूरो।

नोट: 2020-21 के लिए रु सीपीआई-आईडब्ल्यू मुद्रास्फीति नई श्रृंखला 2016=100 पर आधारित है; (पी) -अस्थायी; सी-का तात्पर्य कंबाइंड अर्थात संयुक्त, आईडब्ल्यू-का तात्पर्य औद्योगिक श्रमिक, एएल-का तात्पर्य मजदूर और आरएल-का तात्पर्य ग्रामीण मजदूरों से है।

'डब्ल्यूपीआई, सीपीआई-सी अप्रैल से दिसंबर 2020 और अन्य के लिए अप्रैल से नवंबर 2020।

'अप्रैल-मई 2020 के लिए सीपीआई-सी मुद्रास्फीति को अध्यारोपित किया जाता है, जो कोविड-19 महामारी के कारण टिप्पणियों के सीमित समूह पर आधारित हैं।

चित्र 1: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और ईएमडीई में वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

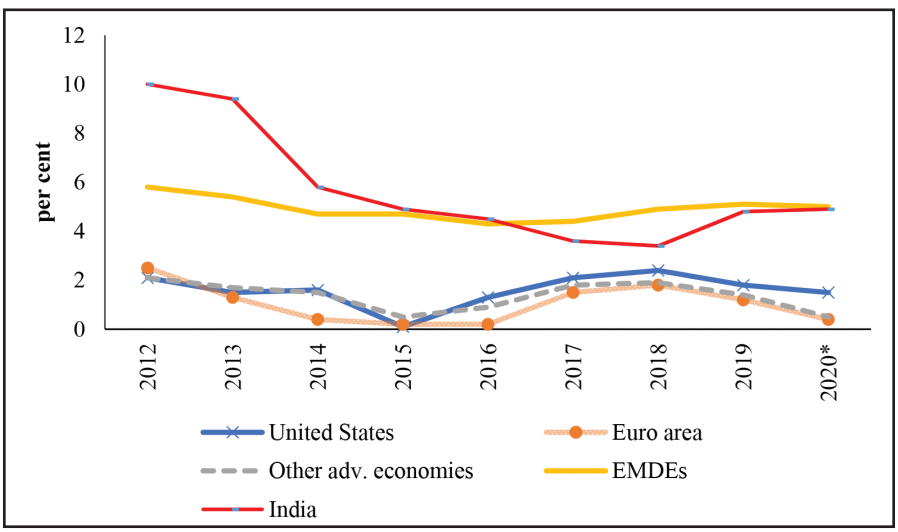

स्रोत: विश्व आर्थिक आउटलुक, अक्टूबर 2020 अपडेट, आईएमएफ

नोट: 'आईएमएफ द्वारा 2020 के लिए आकड़ों का अनुमान लगाया गया है

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 16 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और आईएमएफ वर्गीकरण के अनुसार ईएमडीई में 156 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं

मुद्रास्फीति में मौजूदा रूझान

5.2 वर्ष 2014 से 2018 के दौरान, सीपीआई-कंबाइंड (सीपीआई-सी) पर आधारित हैडलाइन इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीति) कम होने के मार्ग पर अग्रसर थी। हालाँकि वर्ष 2019 से, इसमें एक बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई, और आज-कल मुद्रास्फीति में संतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है (चित्र 2)। वर्ष 2014-15 में औसत सीपीआई-सी मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2018-19 में लगातार गिरकर 3.4 प्रतिशत पर आ गई और वर्ष 2019-20 में 4.8 प्रतिशत दर्ज की गई। यह वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में औसतन 6.6 प्रतिशत रही और दिसंबर 2020 में 15 महीने के निचले स्तर 4.6 प्रतिशत पर पहुँच गई। सीपीआई-सी के विभिन्न समूहों के भीतर, चालू वर्ष में मुद्रास्फीति में वृद्धि व्यापक थी और मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि द्वारा उत्प्रेरित थी, जो कि वर्ष 2018-19 में 0.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 6.7 प्रतिशत हो गई और आगे वर्ष 2020-21 में प्रतिशत (अप्रैल-दिसंबर) 9.1 हो गई और मुद्रास्फीति में वृद्धि का मुख्य कारण सब्जी की कीमतों में वृद्धि होना रहा। हालांकि, सरकार द्वारा किये गए तेज उपायों की वजह से अक्टूबर 2020 में खाद्य मुद्रास्फीति 11 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर दिसंबर 2020 में 3.4 प्रतिशत पर रह गई। सीपीआई कोर (गैर-खाद्य गैर-ईंधन) मुद्रास्फीति 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2019-20 में 4.0 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 में औसतन 5.4 प्रतिशत (अप्रैल-दिसंबर) (तालिका 2) पर रही गई। मौजूदा वर्ष में मुख्य मुद्रास्फीति में वृद्धि सेवाओं वाले विविध समूह के वजह से हुई। विविध समूह में परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति की वृद्धि अधिकतम रही, जो वर्ष 2019-20 में 2.4 प्रतिशत की तुलना में मौजूदा वर्ष में बढ़ कर 9.4 प्रतिशत तक पहुँच गई। इसके अतिरिक्त, सोने और चाँदी की कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव ने मुख्य मुद्रास्फीति दर को बढ़ाने में महती भूमिका निभाई। यद्यपि, सीपीआई-सी के मुख्य समूह स्तर पर, आवास मुद्रास्फीति वर्ष 2018-19 में 6.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 में 4.5 प्रतिशत पर पहुँच गई और वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में और कम होकर 3.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई।

चित्र 2: सीपीआई-सी हेडलाइन, कोर और खाद्य मुद्रास्फीति में रुझान

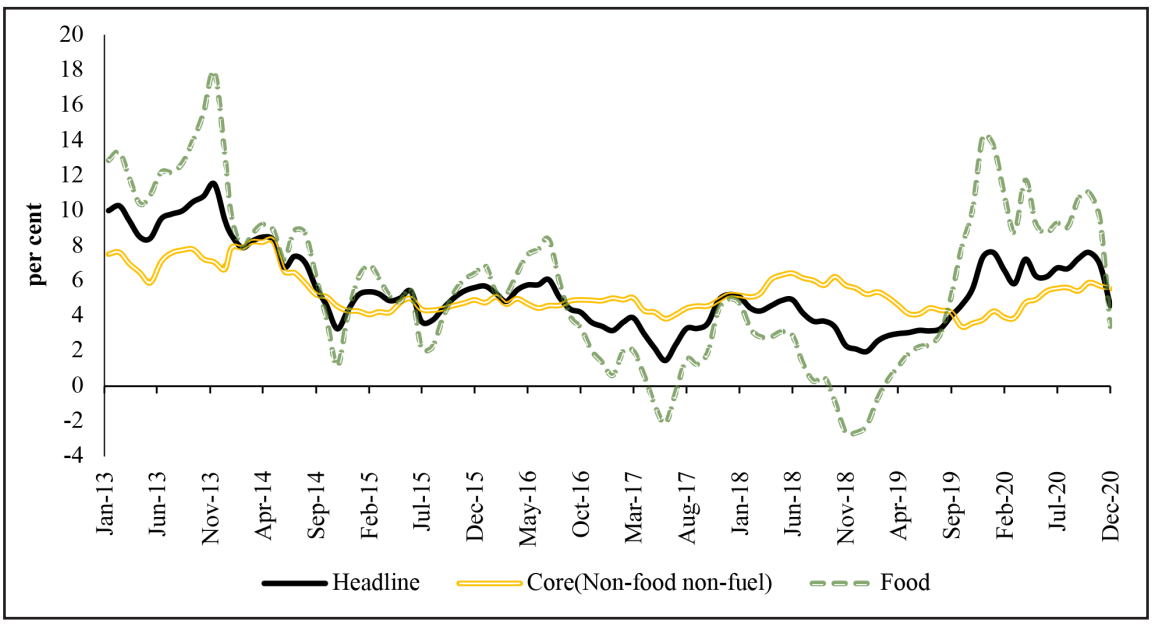

स्रोत: एनएसओ।

तालिका 2: सीपीआई-सी आधार 2012 के चयनित समूहों में मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

विवरण	वजन	2018-19	2019-20	2020-21रु	जुलाई-20	अगस्त -20	सितंबर-20	अक्टूबर -20	नवंबर -20	दिसंबर -20 (P)
सभी समूह	100	3.4	4.8	6.6	6.7	6.7	7.3	7.6	6.9	4.6
सीएफपीआई*	39.06	0.1	6.7	9.1	9.3	9.1	10.7	11.0	9.5	3.4
खाद्य और पेय	45.86	0.7	6.0	8.4	8.5	8.3	9.8	10.1	8.9	3.9
अनाज और उत्पाद	9.67	2.1	2.8	5.2	6.9	5.9	4.7	3.5	2.5	1.0
मांस और मछली	3.61	4.0	9.3	16.3	17.3	16.5	17.5	18.6	17.0	15.2
अंडे	0.43	2.3	4.5	13.4	7.7	10.1	15.6	21.7	20.4	16.1
दूध और उत्पाद	6.61	1.8	2.9	6.4	6.5	6.2	5.6	5.2	5.0	4.0
तेल और वसा	3.56	2.1	2.9	14.0	12.2	12.4	13.4	15.2	17.9	20.0
फल	2.89	2.3	0.7	1.4	0.1	1.0	3.1	0.3	0.2	2.7
सब्जियाँ	6.04	–5.2	21.3	11.0	11.1	11.5	20.8	22.1	15.5	–10.4
दाल और उत्पाद	2.38	–8.3	9.9	17.6	15.7	14.4	14.7	18.3	18.1	16.0
चीनी और कन्फेक्शनरी	1.36	–7.0	0.8	3.5	3.6	3.9	2.7	1.5	1.0	0.5
फ्यूल और लाइट	6.84	5.7	1.3	2.3	2.7	3.2	2.8	2.1	1.6	3.0
भोजन और ईंधन समूह को छोड़कर सीपीआई (कोर)	47.3	5.8	4.0	5.4	5.6	5.6	5.4	5.9	5.7	5.5

स्रोत: एनएसओ।

नोट: अस्थायी, * उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, # अप्रैल से दिसंबर 2020

5.3 डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2018-19 में 4.3 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019-20 में 1.7 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 0.1 प्रतिशत पर आ गई। यह अप्रैल से जुलाई 2020 तक नकारात्मक स्थिति में रही और दिसंबर 2020 (चित्र 3) में 1.2 प्रतिशत पर पहुँच गई। मौजूदा वर्ष में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में कमी मुख्य रूप से ईंधन और विद्युत की दरों में गिरावट आने की वजह से आई है। वर्ष के दौरान संपूर्ण विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार अस्थिरता के कारण प्रमुख ईंधन उत्पादों की मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। डब्ल्यूपीआई ईंधन और विद्युत मुद्रास्फीति वर्ष 2018-19 में 11.6 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2020-21 में (-) 1.8 प्रतिशत पर आ गई तथा इसमें और आगे (अप्रैल-दिसंबर) में (-) 12.2 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष 2019-20 में 6.9 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.2 प्रतिशत और डब्ल्यूपीआई कोर मुद्रास्फीति बढ़कर वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में (-) 0.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 में 0.8 प्रतिशत पर पहुँच (तालिका 3) गई।

तालिका 3: डब्ल्यूपीआई-आधार 2011-12 के चयनित समूहों में मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

विवरण	वजन	2018-19	2019-20	2020-21रु	जुलाई-20	अगस्त -20	सितंबर -20	अक्टूबर -20	नवंबर -20 (पी)	दिसंबर -20 (पी)
सभी वस्तुओं	100.0	4.3	1.7	–0.1	–0.2	0.4	1.3	1.3	1.6	1.2
खाद्य सूचकांक	24.4	0.6	6.9	4.2	4.7	4.8	7.2	6.2	4.3	0.9
खाद्य लेख	15.3	0.3	8.4	3.9	4.5	4.4	8.4	7.1	3.9	–1.1
अनाज	2.8	5.5	7.5	–1.4	0.7	–1.6	–3.7	–5.2	–5.5	–6.5

विवरण	वजन	2018-19	2019-20	2020-21रु	जुलाई-20	अगस्त -20	सितंबर -20	अक्टूबर -20	नवंबर -20 (पी)	दिसंबर -20 (पी)
दलहन	0.6	–9.4	15.9	12.1	10.2	9.9	12.5	16.1	13.0	9.7
सब्जियां	1.9	–8.4	31.2	7.1	8.2	7.2	38.1	26.7	12.2	–13.2
फल	1.6	–1.7	3.2	–1.3	–3.0	–0.3	–4.6	–4.3	–3.8	1.4
दूध	4.4	2.4	2.5	5.1	4.7	4.4	5.6	5.7	5.5	3.9
अंडा, मांस और मछली	2.4	1.7	6.5	3.4	5.3	6.2	4.1	4.2	0.6	1.4
खाद्य उत्पाद	9.1	0.9	4.1	5.0	5.0	5.5	4.9	4.4	4.9	4.9
वनस्पति और पशु तेल और वसा	2.6	7.5	1.4	17.3	15.9	17.7	18.7	20.6	23.2	21.8
चीनी	1.1	–10.7	3.9	0.1	3.3	0.5	–0.8	–1.5	–0.8	–0.3
फ्यूल और पॉवर	13.2	11.6	–1.8	–12.2	–9.8	–9.1	–8.6	–11.1	–9.9	–8.7
गैर-खाद्य निर्मित उत्पाद (कोर)	55.1	4.2	–0.4	0.8	–0.2	0.6	1.3	1.8	2.6	4.1

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी

नोट: पी: अस्थायी, # अप्रैल से दिसंबर 2020.

चित्र 3: डब्ल्यूपीआई, सभी वस्तुओं, कोर और खाद्य मुद्रास्फीति में रुझान

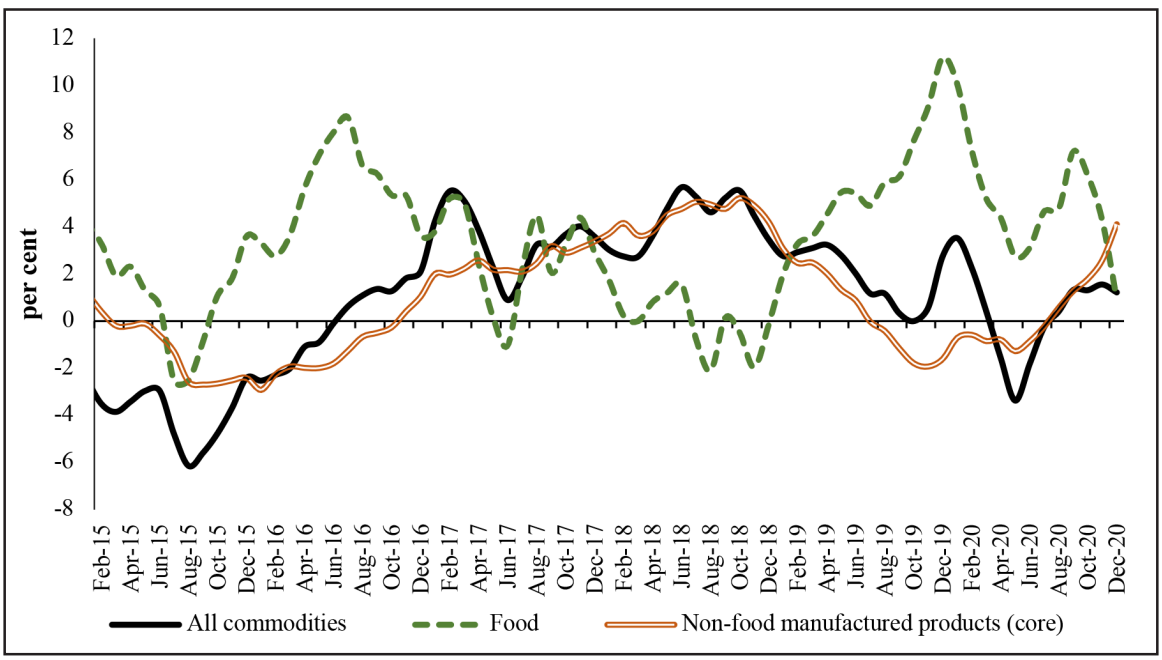

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी

5.4 सीपीआई मुद्रास्फीति में ग्रामीण-शहरी अंतर, जो वर्ष 2019 में उच्च स्तर पर थी, उसमें वर्ष 2020 में कमी आई। जुलाई 2018 से दिसंबर 2019 तक, सीपीआई शहरी मुद्रास्फीति लगातार सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति से अधिक रही, जिसका मुख्य कारण इस अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में

विभेदक दरों की वजह से उत्पन्न खाद्य मुद्रास्फीति थी। यद्यपि, मौजूदा वर्ष में सीपीआई शहरी मुद्रास्फीति सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति के साथ कदमताल कर रही है (चित्र 4)। हालाँकि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति लगभग अब (चित्र 5) बराबर स्थिति में परिवर्तित हो गई है, तथापि ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति में विचलन सीपीआई (चित्र 6) के अन्य घटकों में देखा जा सकता है। मौजूदा वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में सीपीआई के गैर-खाद्य घटकों में मुद्रास्फीति की दर अधिक है। जबकि ईंधन और हल्की मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्रों में (-) 0.1 प्रतिशत है, वहीं शहरी क्षेत्र में 6.7 प्रतिशत है। आवास मुद्रास्फीति जिसकी गणना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं की गई है, उसे छोड़कर अन्य घटकों में ग्रामीण-शहरी अंतर 1.6 से 2.3 प्रतिशत अंकों की सीमा में है।

चित्र 4: सीपीआई ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति

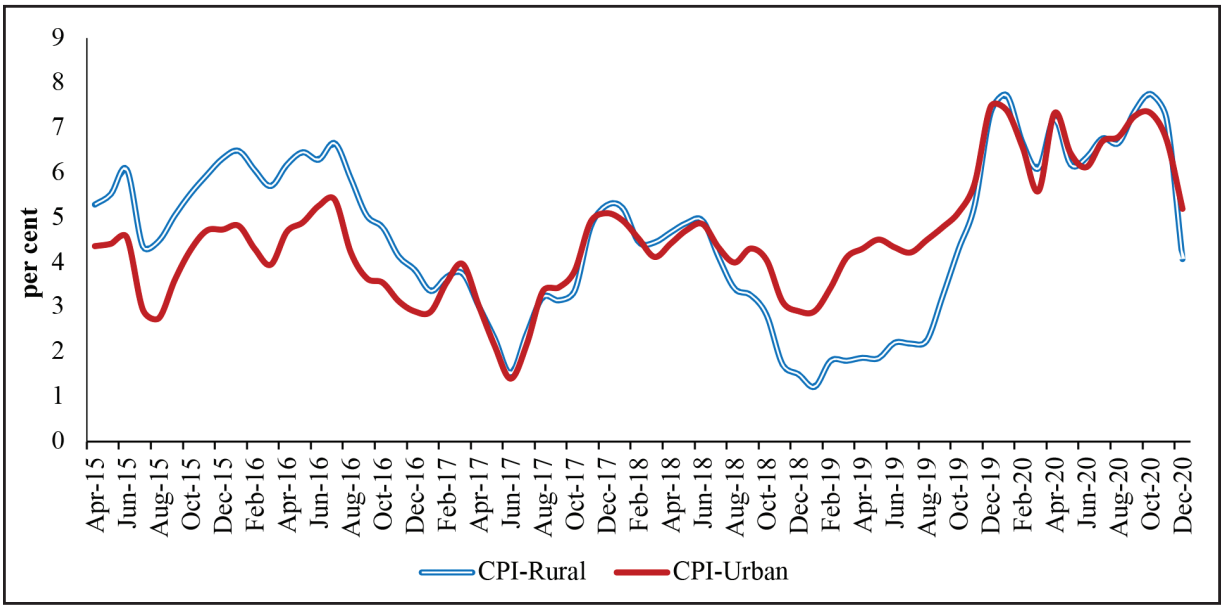

स्रोत: एनएसओ।

चित्र 5: ग्रामीण और शहरी सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति

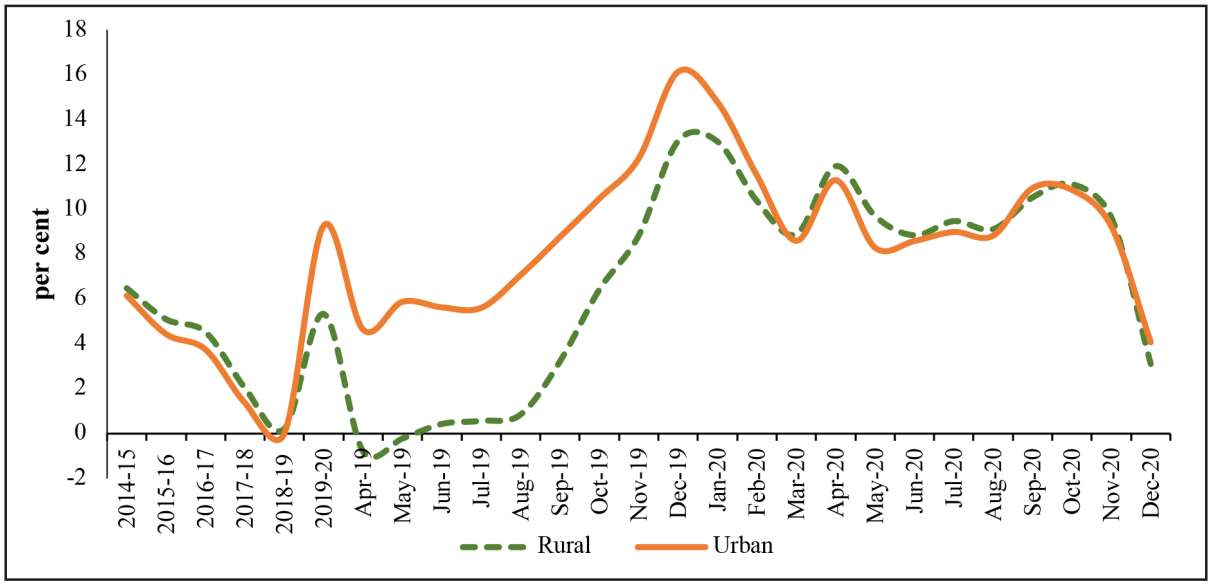

स्रोत: एनएसओ।

चित्र 6: 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में घटक-वार ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति

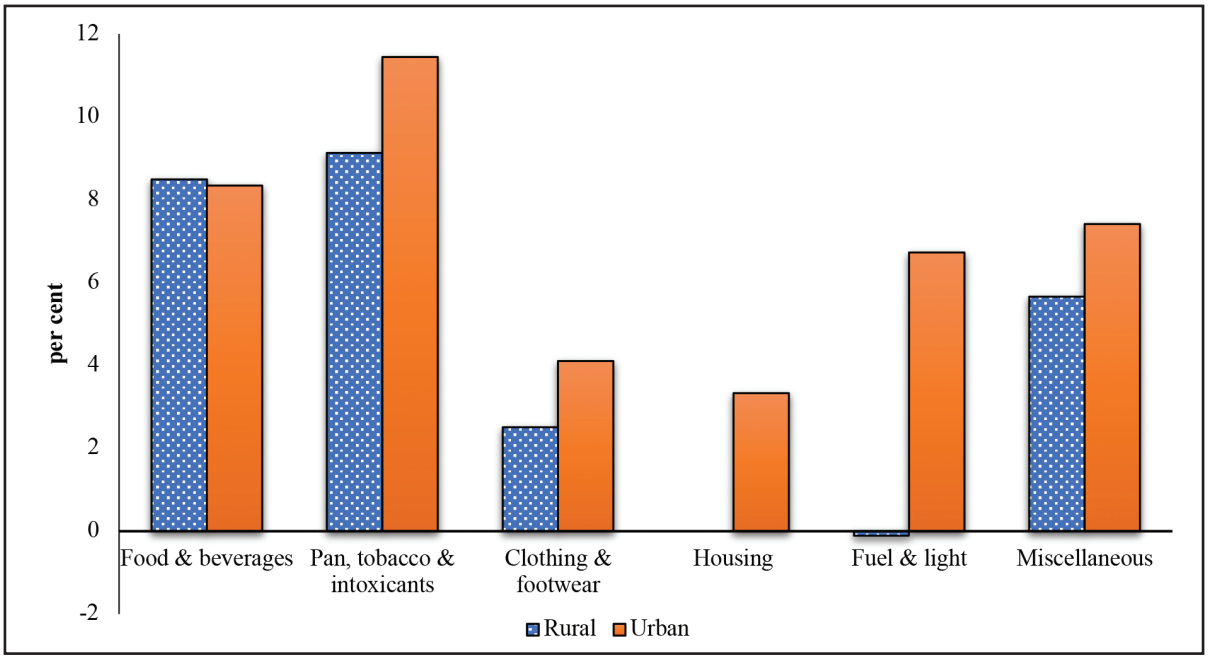

स्रोत: एनएसओ।

5.5 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक: (सीपीआई-आईडब्ल्यू) श्रम ब्यूरो द्वारा जारी मूल्य सूचकांक है जिसे कुछ चुनिंदा उद्योगों में कार्यरत्त श्रमिक वर्ग के परिवार जीवन यापन की लागत पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को मापने के लिए जारी किया गया है। सीपीआई-आईडब्ल्यू के आधार वर्ष को इसके पहले के 2001 से संशोधित करके इसे वर्ष 2016 के सबसे नवीनतम आधार (बॉक्स 1) में बदल दिया गया है।

बॉक्स 1: औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार संशोधन (सीपीआई-आईडब्ल्यू)

श्रम-कार्यालय द्वारा प्रति माह सीपीआई-आईडब्ल्यू को संकलित और प्रसारित किया जाता है। यह एक औसत कामकाजी वर्ग के परिवार द्वारा उपभोग की जा रही निश्चित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। नीति निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के अलावा, इन सूचकांक संख्याओं का उपयोग वेतन निर्धारण/संशोधन, बड़ी संख्या में मैनुअल श्रमिकों और केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के निर्धारण करने के लिए किया जाता है। कामकाजी वर्ग के परिवार द्वारा उपभोग किए जा रहे रूझान की वास्तविक प्रवृति को मापने के लिए, श्रम-कार्यालय ने मौजूदा सीपीआई-आईडब्ल्यू सीरीज 2001=100 को एक नवीनतम आधार वर्ष 2016=100 पर संशोधित किया है।

नवीनतम सीपीआई-आईडब्ल्यू श्रृंखला मौजूदा सात सेक्टरों के औधोगिक श्रमिकों को कवर करता है, जिसमें कारखानों, खान, वृक्षारोपण, रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन उपक्रम, विद्युत उत्पादन और वितरण करने वाले प्रतिष्ठानों और बंदरगाहों और डॉक्स शामिल है। नई श्रृंखला में नमूना आकार, केंद्रों, बाजारों/दुकानों, वस्तुओं आदि की संख्या के संदर्भ में व्यापक कवरेज शामिल है। नई श्रृंखला के मुख्य बदलावों को नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में उल्लेख किया गया है।

सीपीआई-आईडब्ल्यू आधार अपडेशन 2016 में परिशोधन

	पुरानी श्रृंखला	नई श्रृंखला
आधार	2001=100	2016=100
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कवरेज	25	28
केंद्रों का कवरेज	78	88
बाजारों का कवरेज	289	317
आधार वर्ष सर्वेक्षण में शामिल किया गया श्रमिक वर्ग के परिवार	41040	48384
वस्तुओं की संख्या	392	463
सूचकांकों का संकलन	मूल्य सापेक्षों का अंकगणित माध्य	मूल्य सापेक्षों का ज्यामितीय माध्य

रहन-सहन की लागत कीमतों (एसपीसीएल पर टीएसी) के सांख्यिकी पर तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसाओं के आलोक में, श्रम-कार्यालय ने सीपीआई-आईडब्ल्यू में वस्तुओं के वर्गीकरण को आगे विभिन्न समूहों और उप-समूहों में संशोधित किया है जो एनएसओ के उद्देश्य द्वारा व्यक्तिगत उपभोग (सीओआईसीओपी) के वर्गीकरण के अनुरूप है। सीओआईसीओपी वर्गीकरण के आधार पर संशोधित छह समूह और विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए उनके संबंधित वजन नीचे दी गई तालिका में हैं।

सीपीआई-आईडब्ल्यू की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए अखिल भारतीय समूह वजन वितरण

समूह	वजन (%)		
	1982	2001	2016
खाद्य और पेय पदार्थ*	57.0	46.2	39.17
पान, सुपारी, तम्बाकू और नशीले पदार्थ	3.15	2.27	2.07
ईंधन और लाइट	6.28	6.43	5.5
आवास	8.67	15.27	16.87
कपड़ा और जूता **	8.54	6.57	6.08
विविध	16.36	23.26	30.31
सामान्य सूचकांक	100.00	100.00	100.00

* पिछली श्रृंखला के दौरान खाद्य और पेय खाद्य समूह में था।

** कपड़ा और जूता पिछली श्रृंखला के दौरान वस्त्र, बिस्तर और जूते समूह में था।

खाद्य और पेय समूह तथा विविध समूह को आगे विभिन्न उप-समूहों में विभाजित किया गया है। सूचकांक संख्याओं के संकलन के उद्देश्य से वजन को औसत मासिक पारिवारिक व्यय के आधार पर ज्ञात किया गया है। एक परिवार के बजट से व्युत्पन्न औसत बजट में व्यय के उन सभी मदों से संबंधित सूचनाओं को शामिल किया गया था, जिसके बारे में श्रमिक वर्ग परिवार आय एवं व्यय सर्वेक्षण (डब्ल्यूसीएफआई-ईएस), 2016 में सर्वे किए गये परिवारों द्वारा जानकारी दी गई थी। पहले के श्रृंखलाओं की तुलना में वर्ष 2016 श्रृंखला में खाद्य और पेय का वजन कम हुआ है जबकि विविध समूहों (मुख्य रूप से सेवाओं) का वजन पर्याप्त रूप से बढ़ा हैं। दो श्रृंखलाओं के बीच श्रृंखला घटक 2.88 है। श्रृंखला घटक हमें मूल्य सूचकांक पर समय श्रृंखला के आकड़ों में निरंतरता बनाए रखने की अनुमति देता है। यह नई श्रृंखला का पुरानी श्रृंखला के साथ तुलना करने में मददगार साबित होगा। 12 महीनों की अवधि (सितंबर 2019 से अगस्त 2020 तक) के लिए पुरानी श्रृंखला के मासिक सूचकांकों के औसत के अनुपात को नई श्रृंखला में ले जाकर श्रृंखला घटक प्राप्त किया गया है।

मुद्रास्फीति की प्रवृत्तिः गति और आधार प्रभाव

5.6 मौसमी उतार-चढ़ाव के प्रभाव को निर्मूल करने के उद्देश्य से सामान्य तौर पर सूचकांक में बारह महीने के दौरान होने वाले परिवर्तनों का उपयोग करके मुद्रास्फीति के रुझान की व्याख्या की जाती है। हालांकि, मुद्रास्फीति में साल-दर-साल (वाई-ओ-वाई) परिवर्तन का उपयोग करने के साथ एक चुनौती यह है कि यह हाल के मूल्य परिवर्तन और एक वर्ष पहले मूल्य के परिवर्तन के बीच अंतर नहीं करता है। जब आधार महीने में सीपीआई में परिवर्तन का वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, तो इसे आधार प्रभाव कहते है। इसलिए आधार अवधि में सीपीआई में असामान्य परिवर्तनों से मापे गए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में परिवर्तन के योगदान आधार प्रभाव है। इसलिए हमें अंतर करने की जरूरत हैं कि क्या मुद्रास्फीति में परिवर्तन मौजूदा माह में कीमतों में हुए बदलाव की वजह से हैं या आधार अवधि में कीमतों में हुए बहुत अधिक बदलाव की वजह से (आइसलैंड केंद्रीय बैंक, 2007)।

5.7 अंकगणितीय रूप से, ?t-1 (t-1 अवधि में y-o-y मुद्रास्फीति) क्यों ?t (t अवधि में y-o-y मुद्रास्फीति) में चला गया, इसकी व्याख्या में दो भाग शामिल हैं:

1) गतिः pt-1 क्यों pt (कीमत सूचकांक में माह दर माह परिवर्तन) में चला गया। यह कीमतों में हालिया बदलावों को कैप्चर करता हैं।
2) आधार प्रभावः pt-12 क्यों pt-13 से चला गया। यह कीमतों में एक वर्ष पहले हुए बदलावों को कैप्चर करता हैं।

5.8 इस प्रकार, बाद के दो महीनों में वार्षिक मुद्रास्फीति दरों के बीच का अंतर लगभग चालू माह में महीने दर महीने और पहले के बारह माह के दौरान महीने दर महीने के अंतर के बराबर है (यूरोपीय सेंट्रल बैंक, 2005)।

$$\pi_t - \pi_{t-1} = [\underbrace{(\ln(p_t) - \ln(p_{t-1}))}_{\text{Momentum Effect}} - \underbrace{(\ln(p_{t-12}) - \ln(p_{t-13}))}_{\text{Base Effect}}] * 100$$

चित्र 7: सीपीआई-सी और कोर मुद्रास्फीति

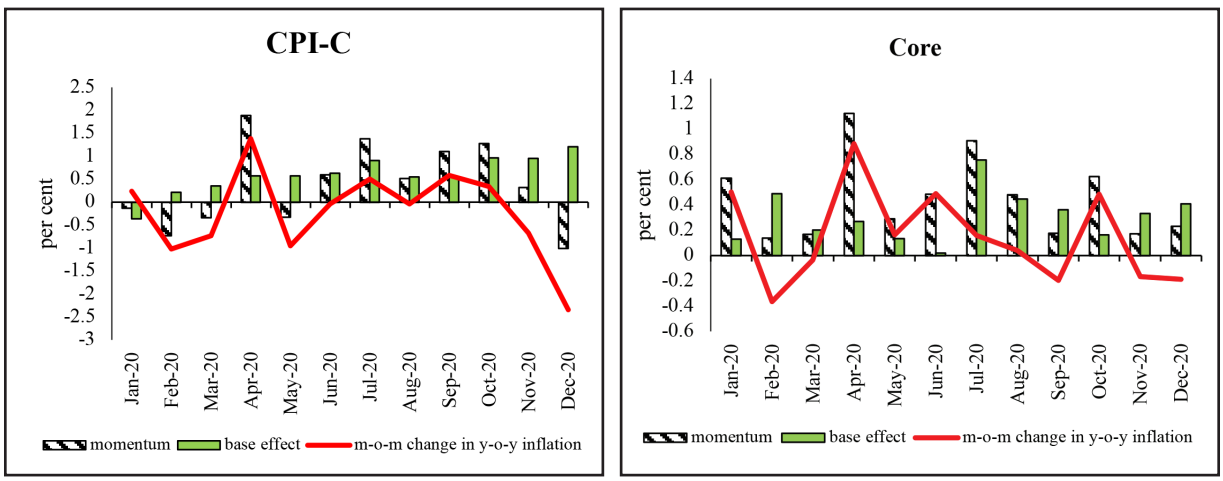

स्रोतः एनएसओ

5.9 अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच सीपीआई हैडलाइन और सीपीआई कोर मुद्रास्फीति मुख्य रूप से मूल्य गति में पर्याप्त वृद्धि से प्रेरित था, जैसे हालिया मूल्य सूचकांक में वृद्धि की वजह से मुद्रास्फीति प्रत्येक महीने बढ़ती जा रही थी (चित्र 7)। दोनों ही मामलों में, सकारात्मक आधार प्रभाव ने मुद्रास्फीति की

दर को कम करने में योगदान दिया। अप्रैल 2020 के आसपास मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि देखने को मिली, मार्च 2020 में मुद्रास्फीति की दर 5.8 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2020 में 7.2 प्रतिशत हो गई और फिर मई 2020 में घटकर 6.3 प्रतिशत रह गई। मुद्रास्फीति में यह वृद्धि अप्रैल 2020 में मुद्रास्फीति की दर में अत्यधिक तीव्र वृद्धि की वजह से हुई, संभवतः इसका मुख्य कारण कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुआ शुरूआती व्यवधान रहा है। नवंबर 2020 तक, मूल्य की गति में पर्याप्त कमी देखने को मिली और सकारात्मक आधार प्रभाव के साथ इसने मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान दिया।

चित्र 8: सीपीआई खाद्य और पेय और इसके उपसमूह की मुद्रास्फीति

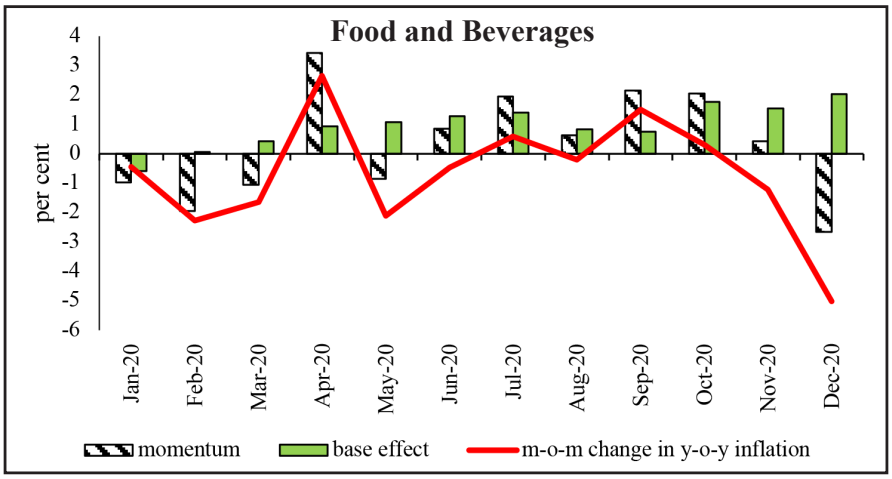

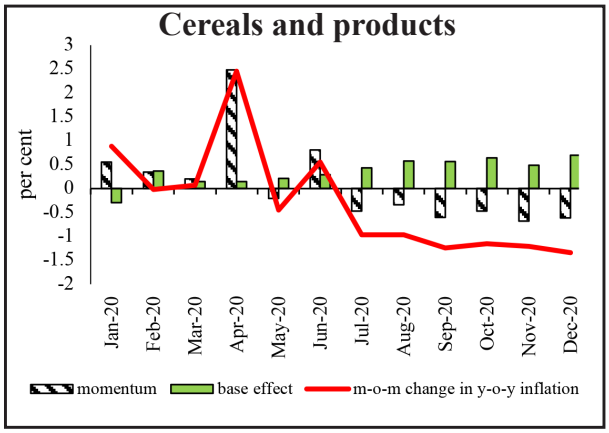

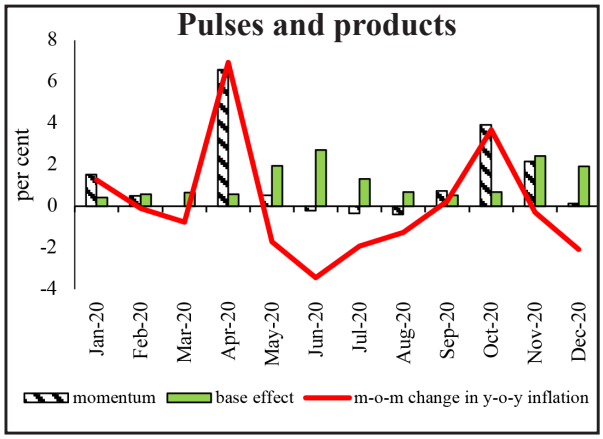

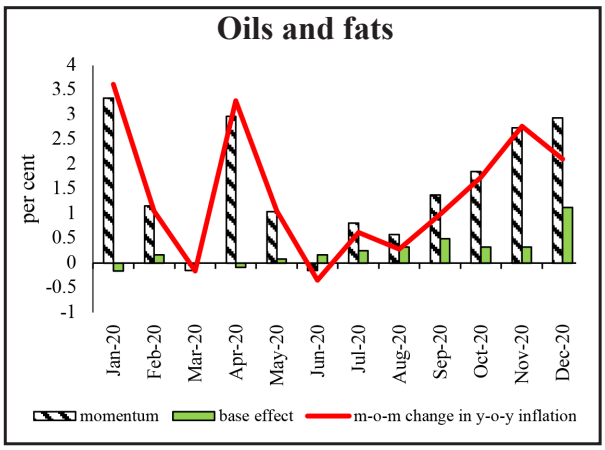

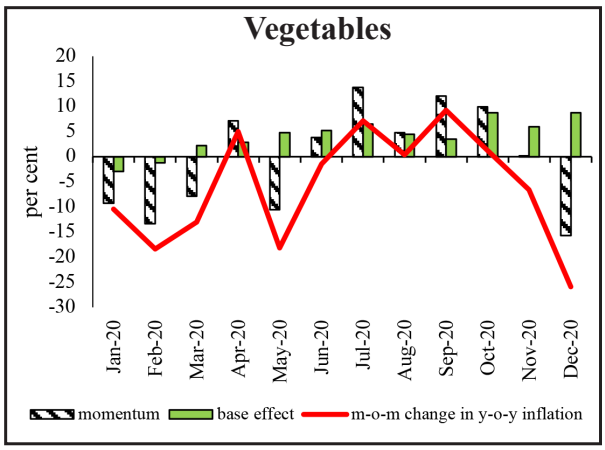

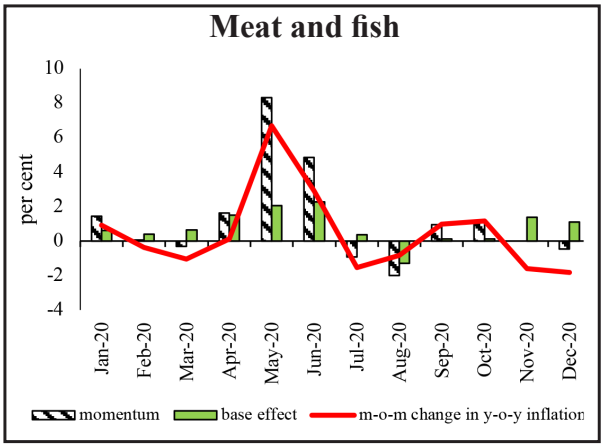

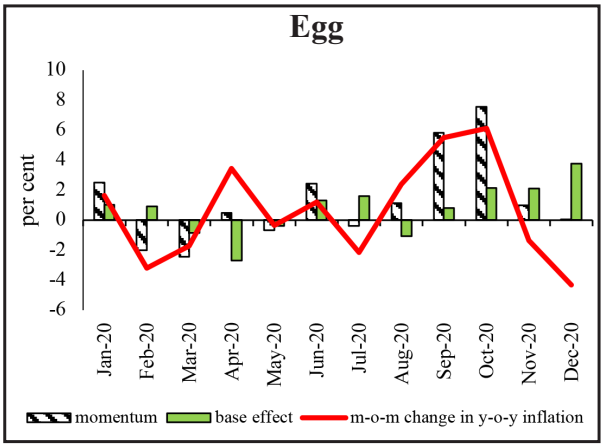

Source: NSO

स्रोत: एनएसओ

5.10 खाद्य तथा पेय समूह के मामले में मुद्रास्फीति का जो प्रारूप देखने को मिला, वही प्रारूप भी सीपीआई हैडलाइन तथा सीपीआई कोर मुद्रास्फीति पर भी देखने को मिला। नवंबर 2020 में, कीमतों की गति के मंद होने साथ उच्च आधार प्रभाव ने खाद्य मुद्रास्फीति (चित्र 8) को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खाद्य तथा पेय समूह के विभिन्न उप-समूहों के बीच विभिन्न प्रकार का प्रतिमान उभरा। उदाहरण के लिए, अनाजों के मामले में नकारात्मक मूल्य वृद्धि और सकारात्मक आधार प्रभाव की वजह से जुलाई 2020 से वाई-ओ-वाई मुद्रास्फीति में कमी आई। तेल और वसा के मामले में, उच्च मुद्रास्फीति अधिकांश मूल्य गति में पर्याप्त उछाल से प्रेरित रही है; जबकि इस मामले में आधार प्रभाव मध्यम रहा है। सब्जियों के मामले में, जुलाई 2020 के बाद से मुद्रास्फीति अधिकांशत: मूल्य गति में बहुत अधिक वृद्धि से प्रेरित रही है।

चित्र 9: सीपीआई विविध समूह और उसके उप-समूह की मुद्रास्फीति

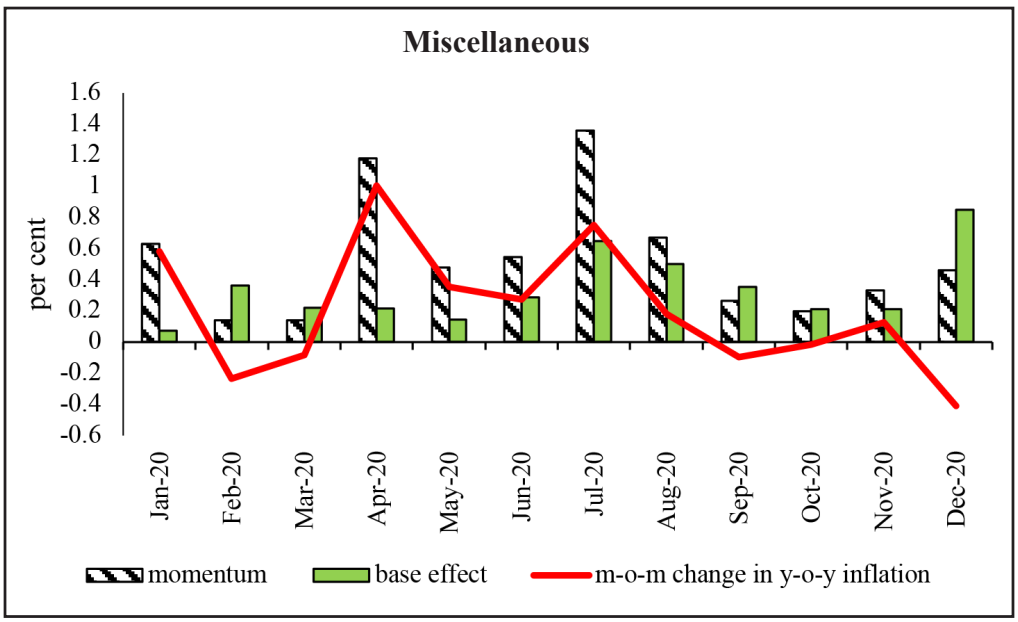

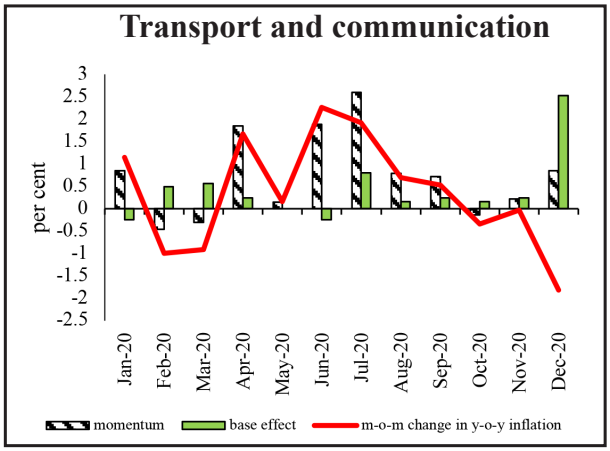

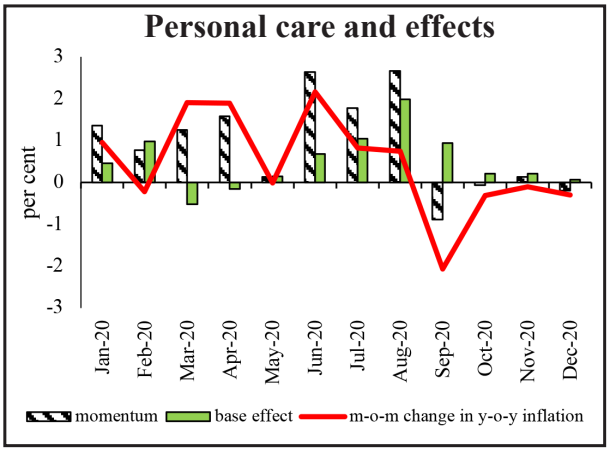

स्रोत: एनएसओ

5.11 परिवहन तथा संचार और पर्सनल केयर व प्रभावों के मामले में, अप्रैल 2020 के बाद से मुद्रास्फीति में वृद्धि कीमतों की दरों में आई अचानक उछाल रही (चित्र 9) है। हालाँकि, परिवहन तथा संचार के मामले में अगस्त 2020 से कीमतें पर्याप्त स्थिर हुई है जबकि पर्सनल केयर व प्रभावों के मामले में कीमतों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। कुल मिलकर, कीमतों में वृद्धि वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में परिवर्तन पर हावी रही है। इसलिए, मुद्रास्फीति विशेष रूप से सब्जियों की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल उचित था।

मुद्रास्फीति के उत्प्रेरक: खाद्य मुद्रास्फीति का विलक्षण प्रभाव

5.12 खाद्य और पेय समूह वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के साथ-साथ 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति का प्रमुख उत्प्रेरक था, हालाँकि वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के 53.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में इसका योगदान बढ़कर 59.0 प्रतिशत हो गया। विविध समूह मुद्रास्फीति में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता समूह था, जिसने समग्र मुद्रास्फीति (26 चित्र) में 26.8 प्रतिशत का योगदान दिया। विविध समूहों के बीच में उप-समूहों में परिवहन और संचार तथा पर्सनल केयर और प्रभावों ने सबसे अधिक योगदान दिया।

चित्र 10: वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) और वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में समूहों का योगदान प्रतिशत में

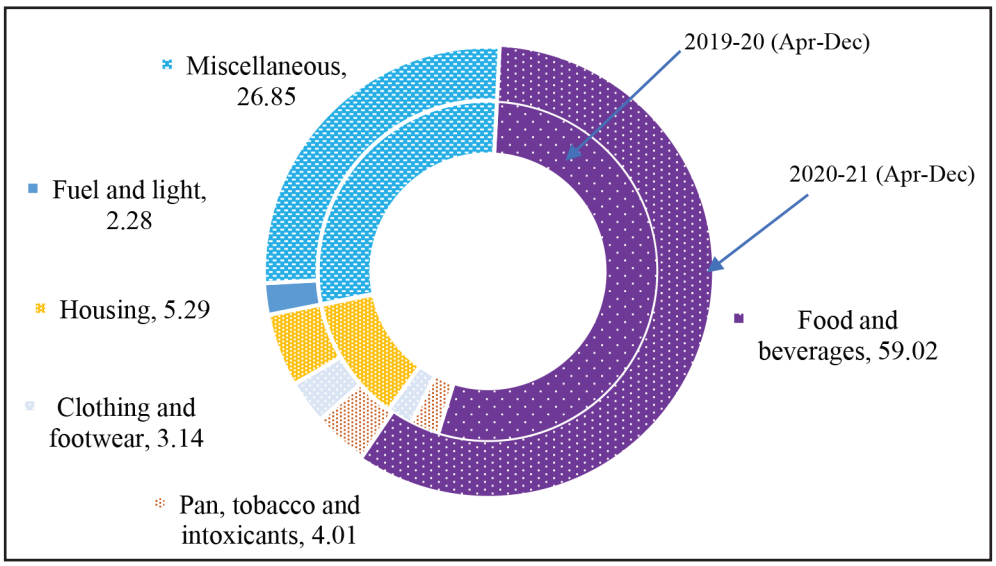

स्रोत: एनएसओ

5.13 सीएफपीआई पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति, जो अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक नकारात्मक अवस्था में रही, ने 2019 की दूसरी छमाही में तीव्र वृद्धि दर्ज की, जिसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में वृद्धि होना रहा है, हालाँकि, इसके बाद हाल के महीनों में कीमतों में कमी आई। मार्च 2020 के बाद से खाद्य मुद्रास्फीति की ऊँची दर कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुए आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधानों की ओर संकेत करता है। सीएफपीआई में खाद्य उप-समूहों का योगदान यह प्रदर्शित करता है कि सब्जियाँ, 'मांस-मछली', 'तेल-वसा', तथा 'दाल-उत्पाद' मौजूदा वर्ष में खाद्य मुद्रास्फीति में प्रमुख योगदान-कर्ता थे (चित्र 11)। सब्जियों के कीमतों में तीव्र गिरावट की वजह से दिसंबर 2020 में सब्जी का योगदान नकारात्मक हो गया। जिन अनाजों ने जून 2018 में अधिक योगदान दिया, बाद में उनका योगदान धीरे-धीरे कम होता गया।

चित्र 11: सीएफपीआई में खाद्य उप-समूहों का योगदान

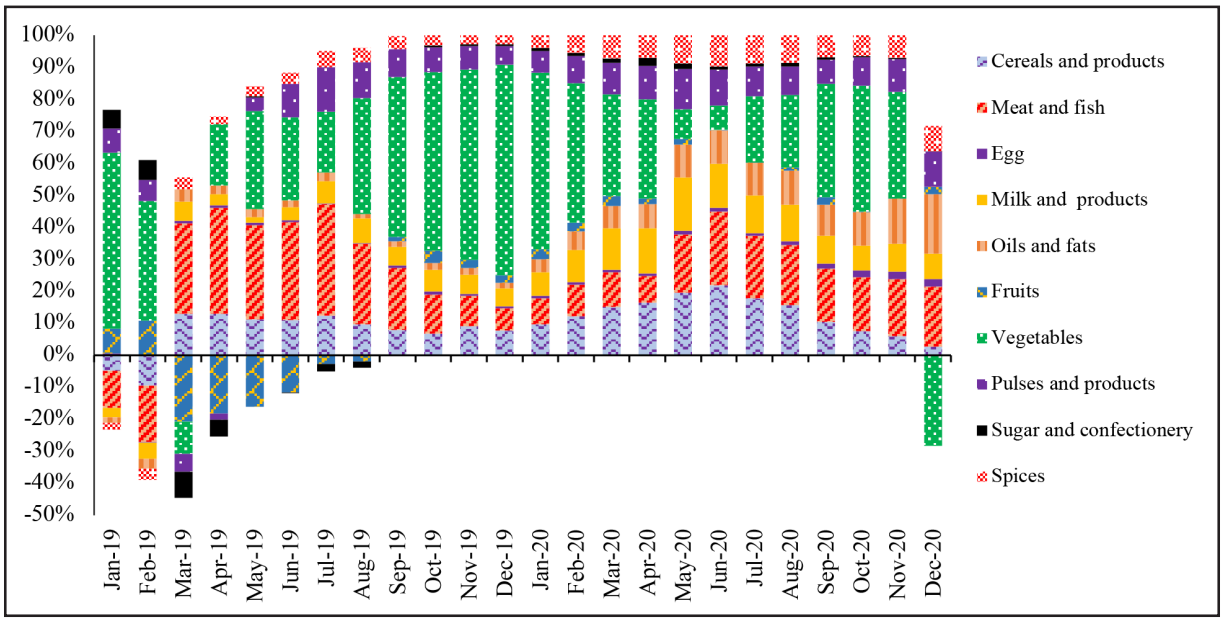

स्रोत: एनएसओ।

5.14 सितंबर 2019 से अप्रैल 2020 की अवधि के दौरान सब्जियों की मुद्रास्फीति दर बढ़ती रही। जून 2020 में यह घटकर 4 प्रतिशत रह गई और जुलाई से नवंबर 2020 तक दो अंकों में बनी रही। सब्जियों की बढ़ती मुद्रास्फीति दर मुख्य रूप से कम मांग वाले मौसम में आलू और प्याज की कीमतों में वृद्धि के कारण थी। प्याज के मामले में, अप्रैल 2020 में आवक में 74 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जबकि आलू के मामले में अगस्त 2020 में 62 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यद्यपि, सरकार द्वारा इन वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए तत्काल कदम उठाए गए, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2020 में सब्जियों की मुद्रास्फीति में (-) 10.4 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई।

5.15 सब्जियों के अलावा, कुछ प्रोटीन समृद्ध वस्तुओं जैसे अंडे, मांस और मछली और दालों तथा अन्य उत्पादों की मुद्रास्फीति दर मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान तीव्र बनी रही, जिसने खाद्य मुद्रास्फीति में पर्याप्त योगदान दिया। दूध और उत्पादों की मुद्रास्फीति एकमात्र अपवाद थी, जो अप्रैल 2020 में 9.4 से घटकर दिसंबर 2020 में 4.0 प्रतिशत रह गया। वर्तमान में चिकन और मटन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण 'मांस और मछली' की मुद्रास्फीति दर चालू वर्ष के अधिकांश भाग में दो अंकों में बनी रही। अप्रैल 2020 में चरम स्थिति पर पहुंचने के बाद, अक्टूबर 2020 में दालों और उत्पादों की महंगाई दर घटकर 18.3 प्रतिशत हो गई और फिर दिसंबर

2020 में घटकर 16.0 प्रतिशत रह गई। हालांकि, इन सभी वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर में हाल के समय में कमी दर्ज की गई है (चित्र 12)।

चित्र 12: प्रोटीन से समृद्ध वस्तुओं के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति

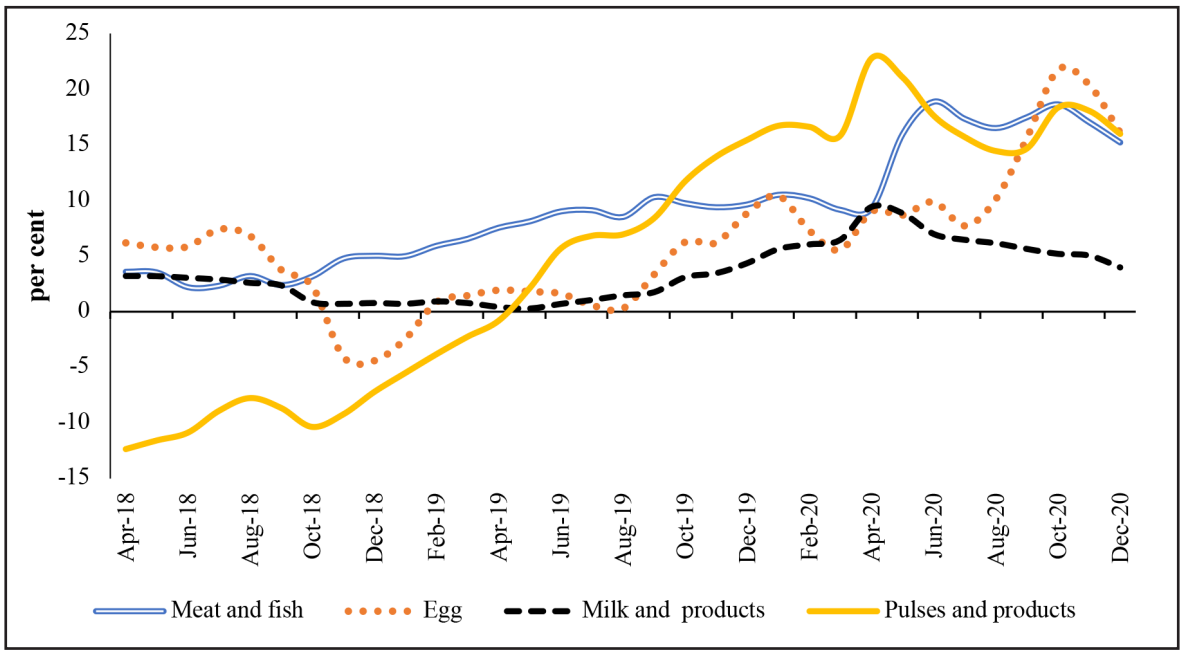

स्रोत: एनएसओ

5.16 इसके अतिरिक्त, तेल और वसा और मसालों की मुद्रास्फीति ने चालू वर्ष में बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज की है। हालांकि, अप्रैल 2020 के बाद से प्रमुख खाद्य समूहों के मुद्रास्फीति में भारी गिरावट दर्ज की गई, जैसे अनाज और उत्पादों की मुद्रास्फीति, जो अप्रैल 2020 में 7.8 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2020 में 1.0 प्रतिशत रह गया और चीनी जो अप्रैल 2020 में 10.3 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2020 में 0.5 प्रतिशत रह गया (चित्र 13)।

चित्र 13: अन्य प्रमुख खाद्य समूहों में सीपीआई

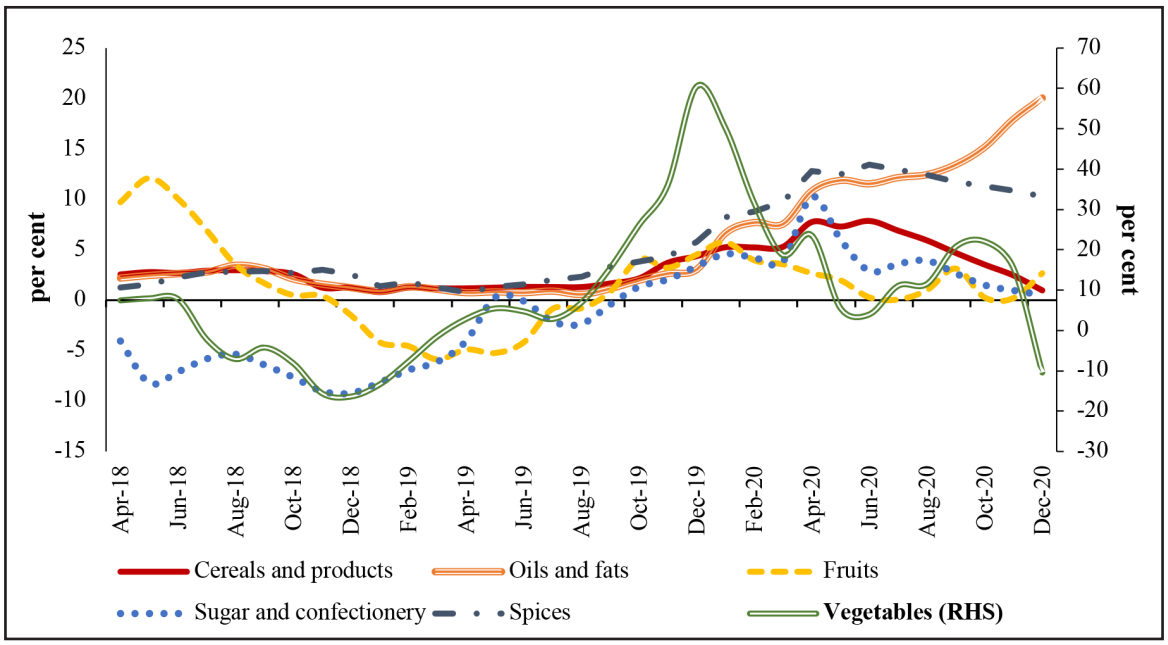

स्रोत: एनएसओ

5.17 जून 2019 के बाद से दलहनों की मुद्रास्फीति दर 5 प्रतिशत से अधिक रही है और तब से यह ऊपर की ओर बढ़ती रही है। अप्रैल 2020 में अचानक तेजी देखी गई और कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों की वजह से उत्पन्न व्यवधान के कारण मुद्रास्फीति में 22.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में कुल दालों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन एक मद के स्तर पर उड़द का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में काफी कम रहा। वर्ष 2019-20 में मूंग का उत्पादन स्थिर रहा। वर्ष 2019-20 में मसूर दाल का उत्पादन भी कम था। इसके अलावा, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में दालों का अनुमानित उत्पादन लक्ष्य से कम रहा है। मदों के स्तर पर, दिसंबर 2020 में ग्राम-विभाजन को छोड़कर सभी दालों में दो अंकों में सीपीआई मुद्रास्फीति दर्ज की गई। हालांकि, पिछले महीने की तुलना में दिसंबर 2020 में मटर और अन्य दालों को छोड़कर सभी दालों की मुद्रास्फीति में गिरावट आई है।

5.18 घरेलू आपूर्ति में कमी के कारण आयात किसी भी वस्तु की उपलब्धता और कीमतों में मध्यम श्रेणी की वृद्धि कर सकता है। दालों के मामले में, यह देखा गया है कि आयात उत्पादन (चित्र 14) के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध है। जिस वर्ष उत्पादन कम होता है, उस वर्ष आयात में वृद्धि होती है और बंपर फसल के वर्ष में आयात में गिरावट आती है। प्रत्येक वर्ष आयात नीति को उत्पादन के स्तर के अनुसार बदल दिया जाता है। यद्यपि, आयात नीति में इस तरह के लगातार बदलाव से उत्पन्न नीतिगत अनिश्चितता की वजह से बाजार के प्रतिभागियों में भ्रम की स्थिति बढ़ जाती है।

चित्र 14: उत्पादन, आयात और आयात उत्पादन अनुपात

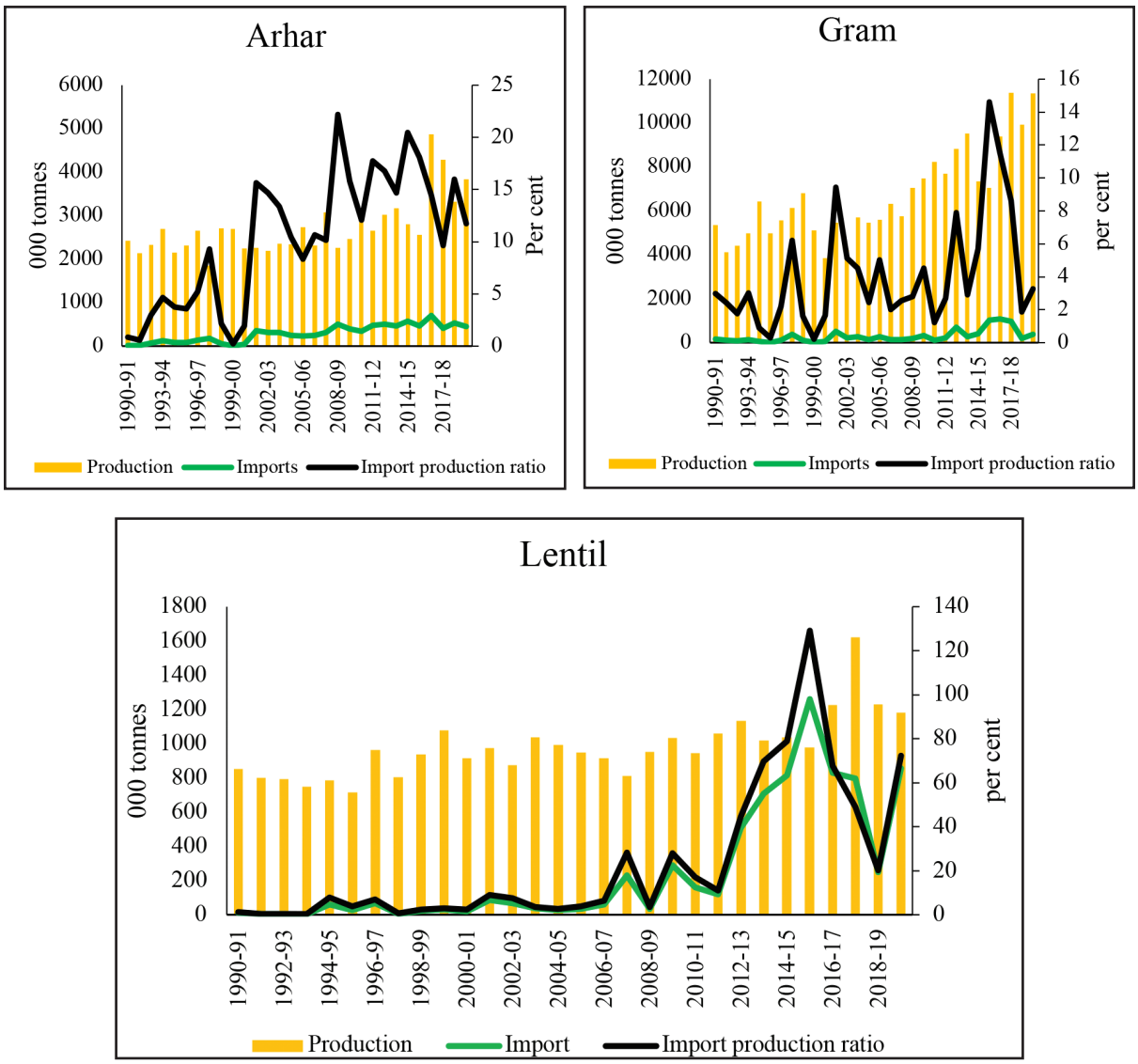

स्रोत: सीएमआईई

5.19 अगस्त 2019 के बाद से तेल और वसा की सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है और यह दिसंबर 2020 में बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई है। दिसंबर 2020 में सरसों के तेल, मूंगफली के तेल और रिफाइंड तेल (सूरजमुखी, सोयाबीन आदि) की मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत से अधिक रही जबकि नारियल तेल की मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत से अधिक रही। भारत विश्व में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत में खाद्य तेलों की मांग बढ़ती जा रही है जबकि घरेलू उत्पादन की गति लगभग स्थिर है। इस कारण से पिछले कुछ वर्षों में खाद्य तेलों के आयात पर भारत की निर्भरता बढ़ी है (चित्र 15)। यह जोखिम भरा है क्योंकि विश्व बाजार की समस्याएं घरेलू बाजार पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के प्रभावी उपाय किए जाने जरूरी हैं (CACP, 2020)। मलेशिया और इंडोनेशिया ने रिफाइंड पाम तेल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कच्चे पाम तेल पर निर्यात शुल्क आरोपित किया जिसकी वजह से वर्ष 2020 में रिफाइंड पाम तेल का आयात प्रभावित हुआ। इससे पाम तेल की घरेलू कीमतें जनवरी-जून 2020 से प्रभावित हुईं।

चित्र 15: खाद्य तेल का आयात

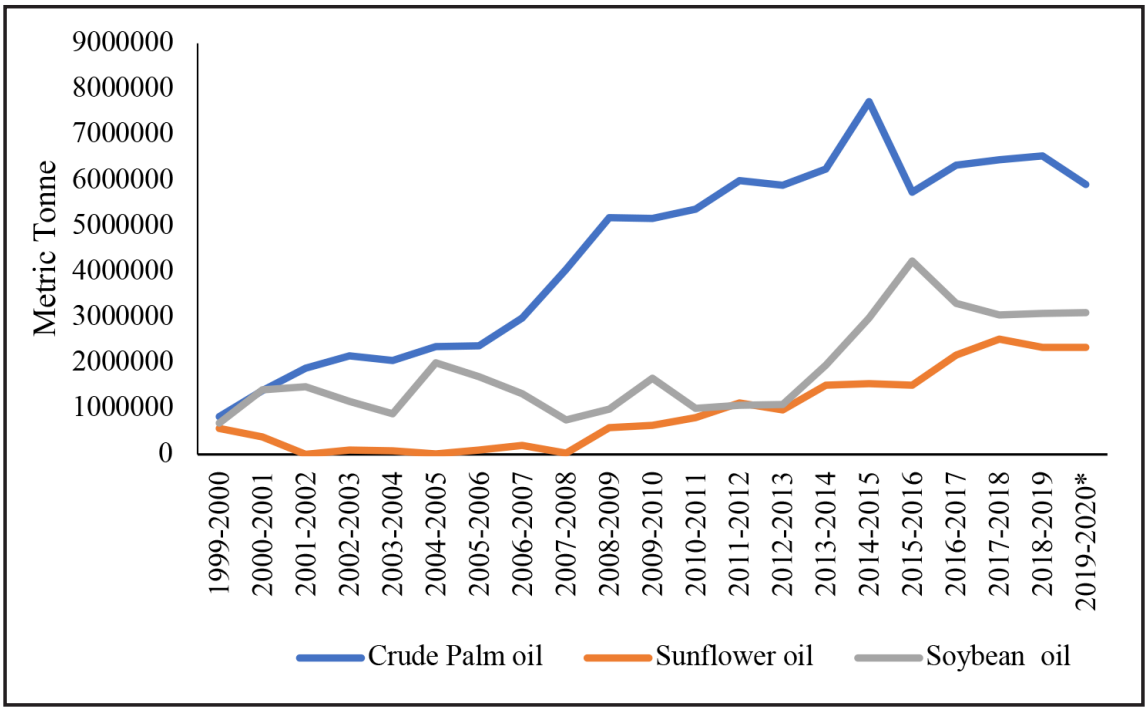

*सितंबर तक

स्रोत: सोलवेन्ट एक्सट्रेक्टर्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया

5.20 कोविड-19 के उपरांत रिवर्स प्रवासीकरण, कारखानों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने और उत्पादन तथा वितरण नेटवर्क में अन्य लेनदेन की लागत बढ़ने की वजह से थोक कीमतों में उछाल देखने को मिली। यद्यपि कुल तिलहन का उत्पादन क्रमशः वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है, लेकिन वर्ष 2019-20 में सोयाबीन के उत्पादन में बहुत अधिक गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के लिए सूरजमुखी के खरीफ उत्पादन में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है। सूरजमुखी का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से लगातार घट रहा है और वर्ष 2019-20 में इसमें मामूली वृद्धि देखी गई। वर्ष 2019-20 में भी सरसों का उत्पादन कम हो गया है।

5.21 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को आम आदमी के घरों के खाद्य बजट पर प्रभाव द्वारा अनुभव किया जा सकता हैं। इस संबंध में भोजन की प्लेट की लागत का आकलन करने का एक प्रयास थैलिनोमिक्स (बॉक्स 2) के रूप में खंड- I, आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20 में किया गया था।

बॉक्स 2: थैलिनोमिक्स: वर्ष 2020-21 में भोजन के एक प्लेट की लागत

आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20 संस्करण- I ने "थैलिनोमिक्स": भारत में एक प्लेट भोजन का अर्थशास्त्र शीर्षक अध्याय में एक थाली की एक अद्वितीय संकल्पना पेश की है। अध्याय में वर्णित इस क्रियाविधि की मदद से और एक भारी काम करने वाले एक भारतीय वयस्क पुरुष श्रमिक (NIN, 2011) के लिए निर्धारित आहार दिशानिर्देशों के आधार पर अनाज, दालों/मांस, सब्जी, मसाले, खाद्य तेल और ईंधन के अनुशंसित आहार भत्तों का उपयोग करते हुए और एनएसओ द्वारा सीपीआई-सी के लिए संग्रह किए गए आकड़ों का उपयोग करते हुए एनएसओ ने थाली सूचकांक का संकलन किया है। उपभोक्ता सर्वेक्षण के 68वें चक्रिय आकड़ों (2011-12) के आधार पर राज्य-वार अनाजों, दालों आदि के हिस्से का निर्धारण किया जाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए पीडीएस की कीमतें और शहरी क्षेत्रों में समृद्ध बाजारों के संबंध में मदों की कीमतों को बाहर रखा गया है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि पीडीएस की खपत को छोड़ने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैं। थाली की लागत घर में पकाए गए भोजन की लागत का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु जब यह पीडीएस की खपत को छोड़कर पूरी तरह से थली के उक्त घटकों के लेन-देन की कीमतों के आधार पर होगा, तो यह सच हो सकता है कि घर के लिए वास्तविक लागत यहाँ परिकलित किए गए लागत से भिन्न हो सकती है और यह एक राज्य में पीडीएस प्रणाली की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। कदाचित, यही कारण है कि अनेक राज्यों में, ग्रामीण थाली की कीमत इसके शहरी समकक्ष से थोड़ी अधिक है। निम्न तालिका अप्रैल 2019 से शाकाहारी और मांसाहारी थैलियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर थाली की कीमत के प्रवृत्ति को दर्शाती है। यद्यपि जून 2020 से नवंबर 2020 के बीच थाली की लागत में वृद्धि देखी गई है, तथापि दिसंबर के महीने में इसमें गिरावट देखी गई है, जो अनेक कई आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है।

अखिल भारतीय थाली की लागत

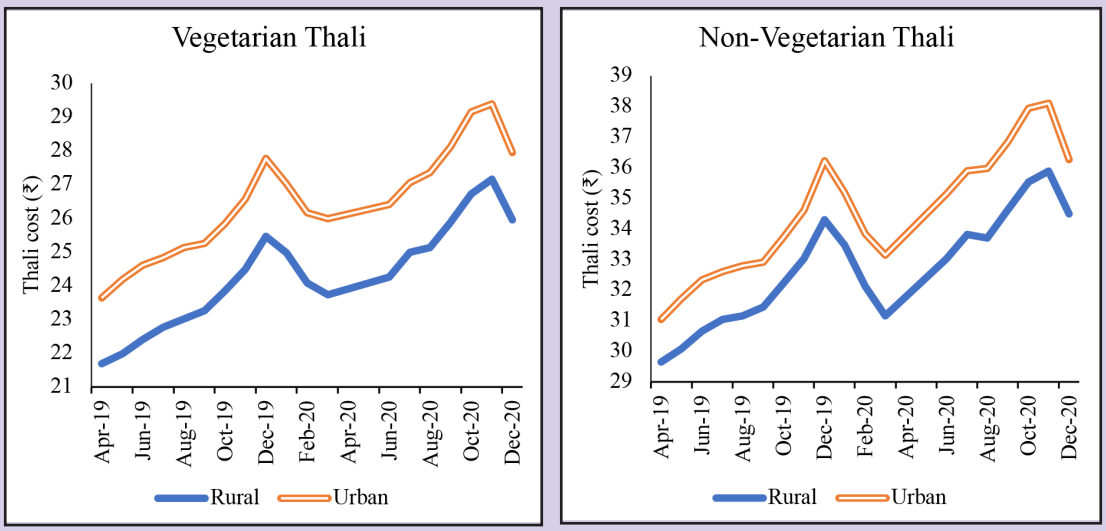

स्रोत: एनएसओ

कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप पर्याप्त आकड़े उपलब्ध नहीं होने की वजह से अप्रैल 2020 और मई 2020 के महीनों के लिए थाली के लागत का डेटा संकलित नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों के मध्य थाली की लागत में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर 2020) में, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक महंगी शाकाहारी थाली अंडमान और निकोबार द्व

ीपसमूह (₹38.7) में थी जबकि सबसे सस्ती थाली (₹23.1) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में थी। उसी अवधि के दौरान मांसाहारी थाली के सम्बन्ध में देखा जाएँ, तो सबसे महँगी मांसाहारी थाली अरुणाचल प्रदेश (₹48.5) के ग्रामीण क्षेत्र में थी जबकि सबसे सस्ती मांसाहारी थाली चंडीगढ़ (₹29.9) के ग्रामीण क्षेत्र में थी। वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर 2020) में, शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक महंगी शाकाहारी थाली अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (₹40.0) में थी जबकि सबसे सस्ती थाली (₹24.0) मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में थी। उसी अवधि के दौरान मांसाहारी थाली के सम्बन्ध में देखा जाएँ, तो सबसे महँगी मांसाहारी थाली मिजोरम प्रदेश (₹52.4) के ग्रामीण क्षेत्र में थी जबकि सबसे सस्ती मांसाहारी थाली हरियाणा (₹28.0) के ग्रामीण क्षेत्र में थी।

राज्य स्तर पर थाली की लागत

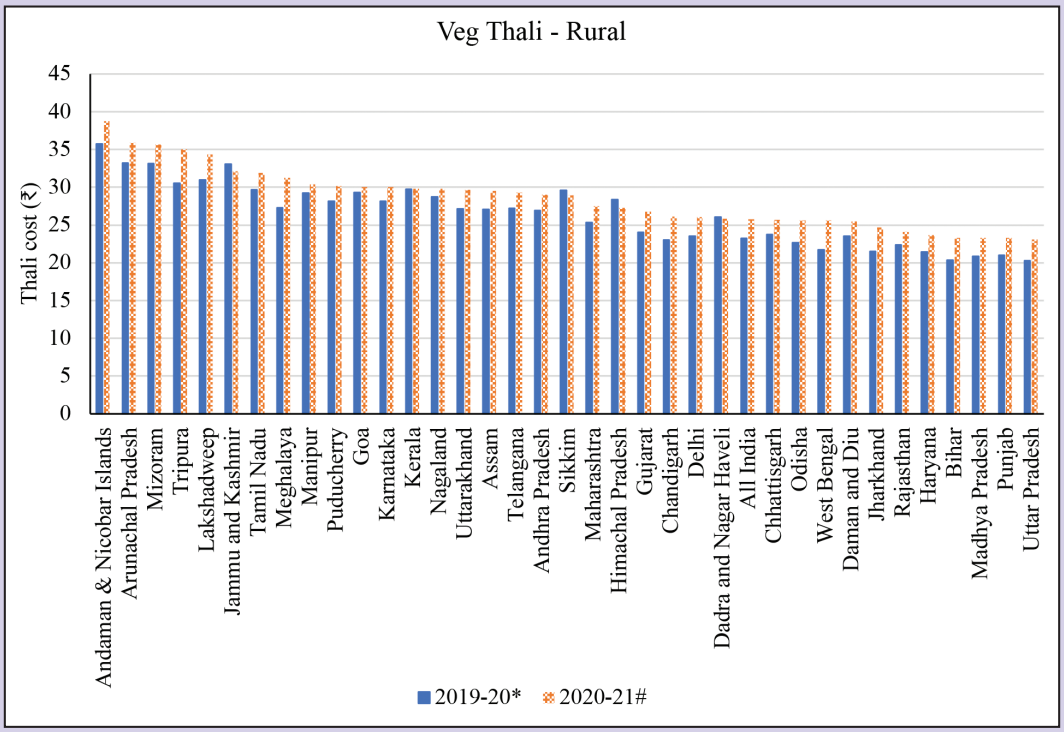

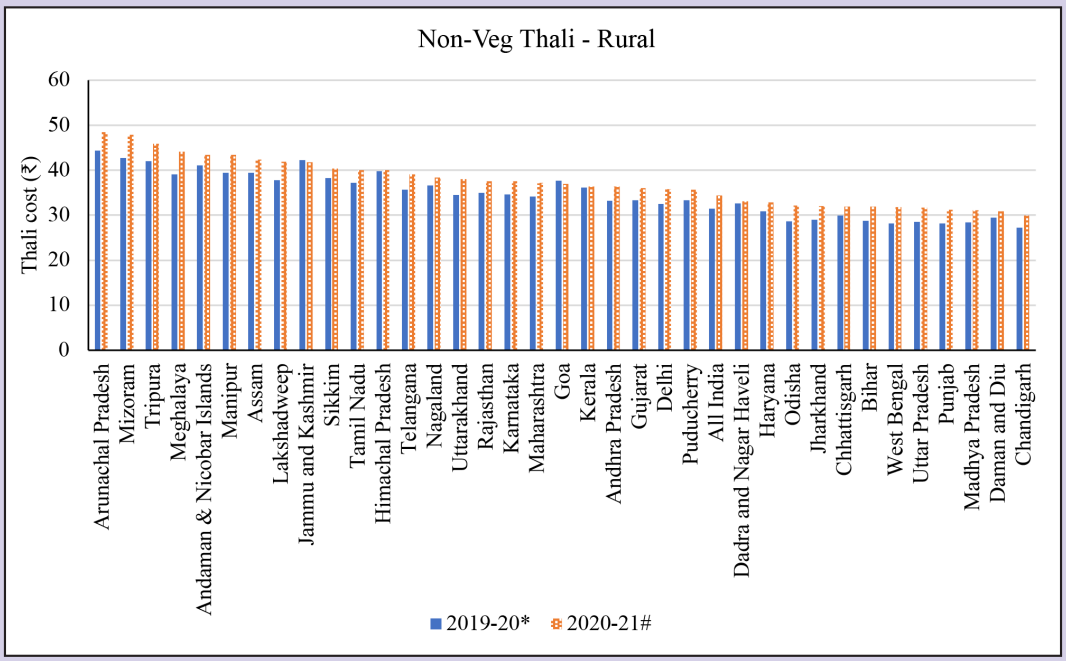

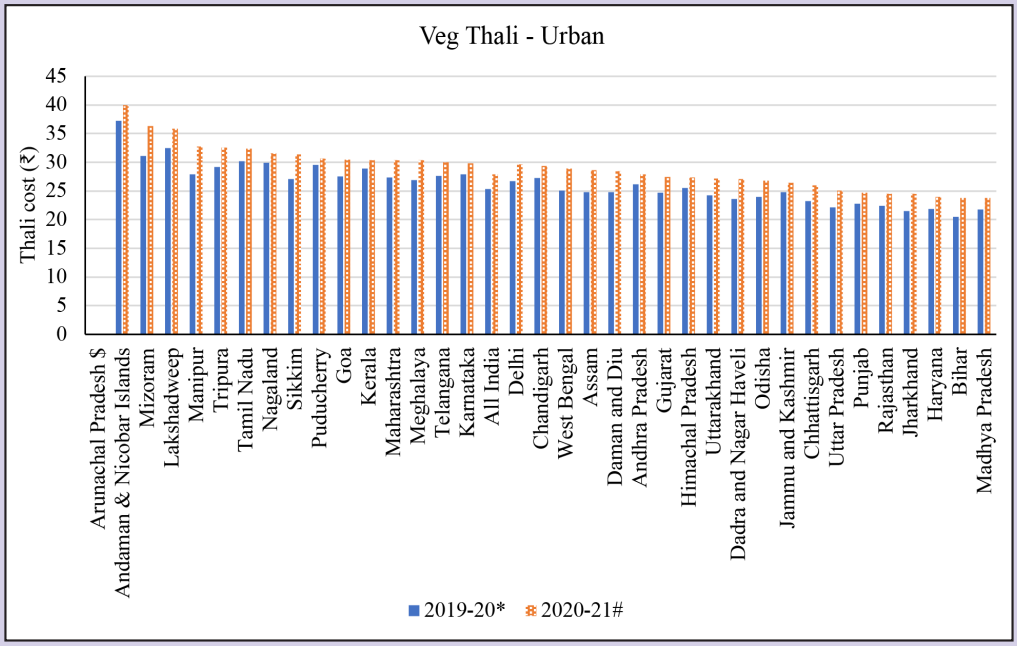

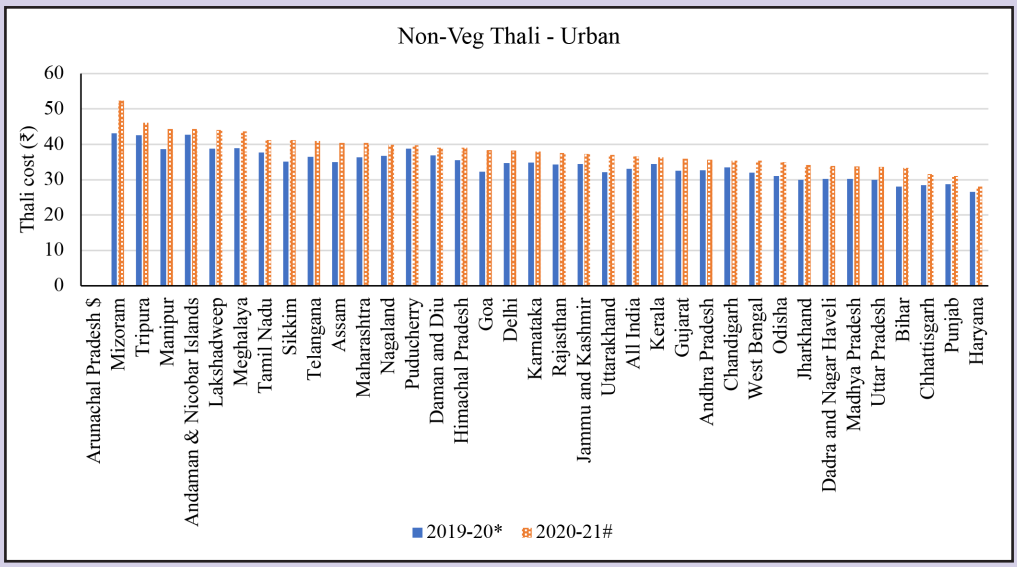

स्रोत: एनएसओ

स्रोत: एनएसओ

नोट: * अप्रैल-दिसंबर, 2019

$ अरुणाचल प्रदेश के लिए शहरी क्षेत्रों के डेटा को एनएसओ द्वारा संकलित नहीं किया गया है

कोविड-19 महामारी के वजह से लगाए गए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप पर्याप्त आकड़े उपलब्ध नहीं होने की वजह से अप्रैल 2020 और मई 2020 के महीनों के लिए थाली के लागत का डेटा संकलित नहीं किया गया है और इन कारणों से 2020-21 जून-दिसंबर, 2020 से मिलती है।

राज्यों में मुद्रास्फीति

5.22 चालू वर्ष के दौरान अधिकांश राज्यों में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई है। हालाँकि क्षेत्रीय विभिन्नता मौजूद है। वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर) में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति की दर 3.2 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच रही जो उसी अवधि के दौरान गत वर्ष (-0)0.3 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत थी। 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में में, समग्र मुद्रास्फीति मौजूदा वित्त-वर्ष में अखिल भारतीय औसत से कम है और दिल्ली में सबसे निम्न मुद्रास्फीति है, उसके बाद दादर और नगर हवेली (चित्र 16) में सबसे कमतर मुद्रास्फीति है।

चित्र 16: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए (प्रतिशत में) सीपीआई-संयुक्त मुद्रास्फीति

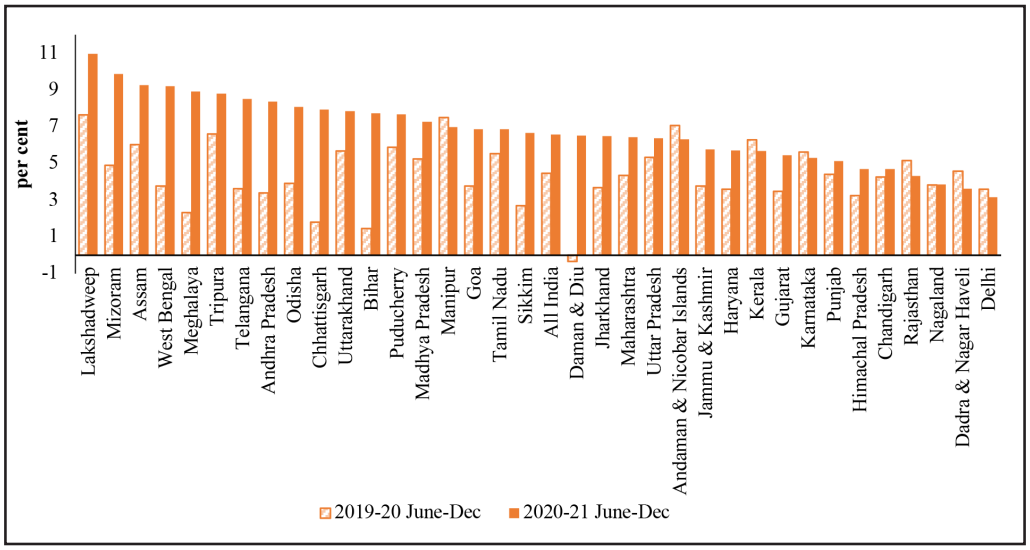

स्रोत: एनएसओ

नोट: 1. राज्य स्तरीय सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल और मई 2020 के लिए उपलब्ध नहीं है।

2. अरुणाचल प्रदेश को सीपीआई-सी के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इसका प्रकाशन इस राज्य के लिए नियमित रूप से नहीं किया जाता है।

5.23 मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की वजह से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूदा वर्ष में ग्रामीण मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक शहरी मुद्रास्फीति देखी गई है (भिन्नता 17)।

चित्र 17क: 2020-21 (जून-दिसंबर) में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ग्रामीण और शहरी सीपीआई मुद्रास्फीति

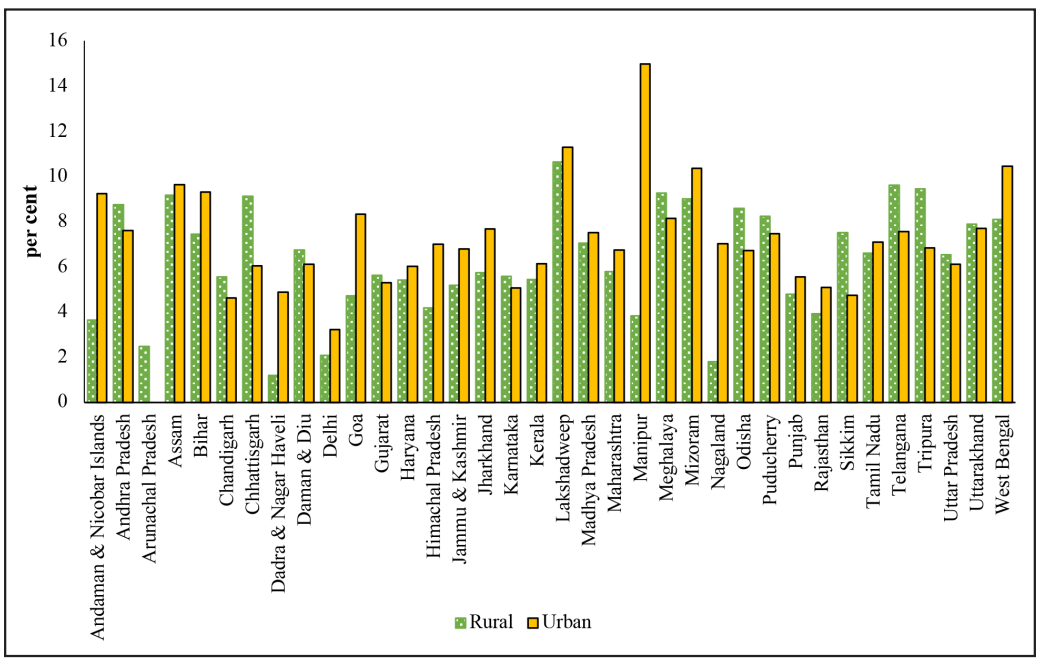

स्रोत: एनएसओ

नोट: 1. राज्य स्तरीय सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल और मई 2020 के लिए उपलब्ध नहीं है।

2. अरुणाचल प्रदेश को सीपीआई-सी के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इसका प्रकाशन इस राज्य के लिए नियमित रूप से नहीं किया जाता है।

5.24 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ-साथ पूर्व के राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक मुद्रास्फीति देखने को मिली है। इन राज्यों ने उच्च शहरी मुद्रास्फीति (चित्र 17 ख और ग) को देखा है।

17 ख. 2020-21 (जुन-दिसंबर) में सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति

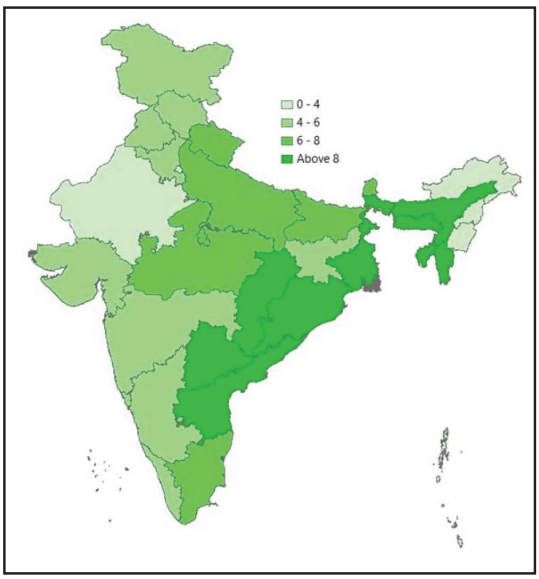

17 ग. 2020-21 (जुन-दिसंबर) में सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति

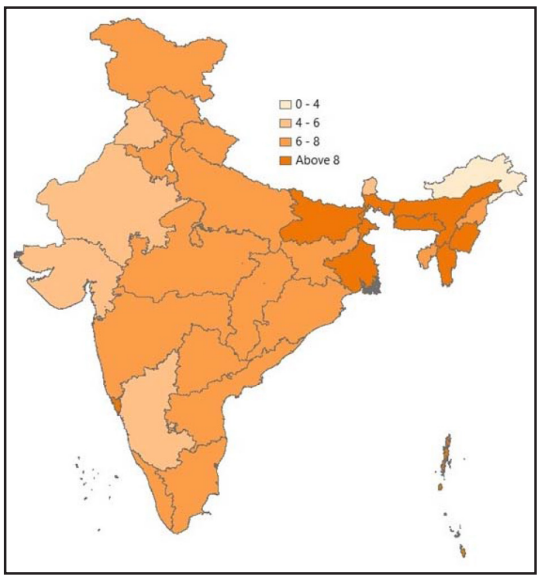

स्रोत: एनएसओ

नोट: अरुणाचल प्रदेश को सीपीआई-सी के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इसका प्रकाशन इस राज्य के लिए नियमित रूप से नहीं किया जाता है।

5.25 सीपीआई-सी में 71.2 प्रतिशत वजन वाले शीर्ष दस राज्यों (वजन के अनुसार) ने 71.2 प्रतिशत का योगदान दिया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 72.7 प्रतिशत (चित्र 18) था ।

चित्र 18: समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति में शीर्ष 10 राज्यों का योगदान (वजन के अनुसार)

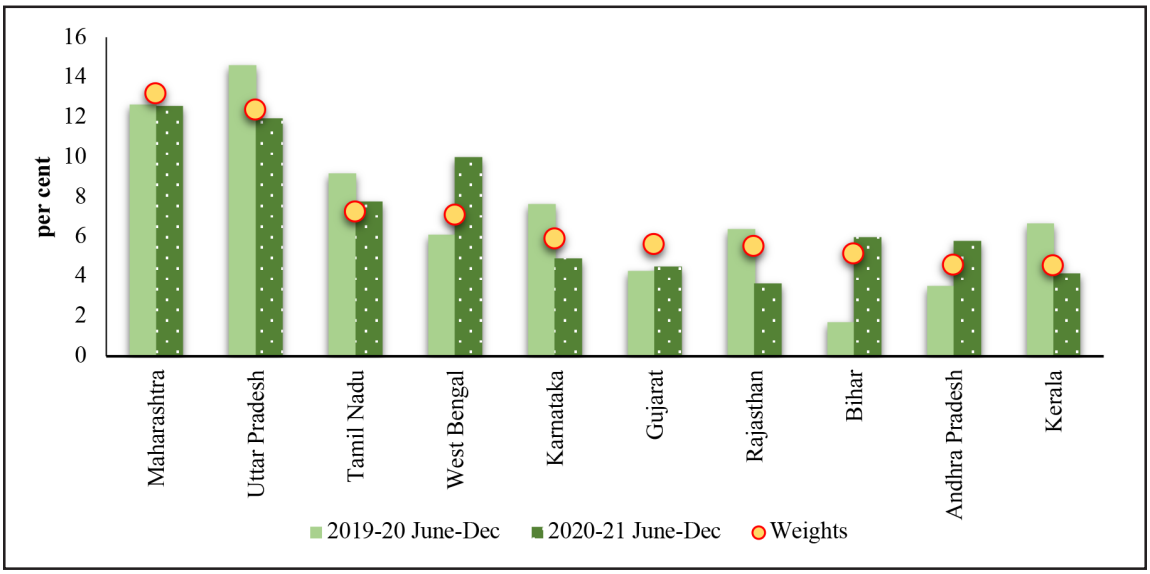

स्रोत: एनएसओ

नोट: राज्य स्तर के सीपीआई सूचकांक अप्रैल और मई 2020 की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वजन का मान उस ऊंचाई पर है जिस पर बुलबुला खड़ा रहता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के लिए, यह 13.2% है जबकि केरल के लिए, यह 4.6% है।

वर्ष 2020-21 में मुद्रास्फीति के किन उपायों ने आर्थिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से दर्शाया है?

5.26 पूर्ववर्ती दो खंड आपूर्ति पक्ष की बाधाओं की भूमिका का संकेत करता है, विशेष रूप से खराब होने वाली सब्जियों के मामले में जो मुद्रास्फीति के बढ़ने में महती भूमिका निभाता है। फरवरी 2017 से, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2019-20 के शुरूआत तक कमोवेश एकसाथ मिलकर आगे बढ़ते रही है, उसके बाद उसके बीच में एक अंतराल देखने को मिली है, जो धीरे-धीरे बढ़ते जा रही है (चित्र 19) । अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में रही है जबकि सीपीआई-सी मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से अधिक रही है। इस चौड़ी होती हुई खाई की मुख्य विशेषता यह है कि ऐसा अधिकतम खाद्य मुद्रास्फीति की अवधि में हुआ है (चित्र 19 में छायांकित क्षेत्र उस अवधि को दर्शाता है जिसके दौरान सीएफपीआई मुद्रास्फीति गैर-खाद्य मुद्रास्फीति से अधिक रही है)। हाल के महीनों में कोविड-19 महामारी के वजह से सीपीआई-सी मुद्रास्फीति की गति अर्थव्यवस्था में प्रचलित कमजोर मांग स्थितियों के बिल्कुल विपरीत है। सीपीआई-सी सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का बड़ा वजन लगभग 39 प्रतिशत है। इसक तात्पर्य है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों के झटके का सीपीआई-सी मुद्रास्फीति पर गहन प्रभाव पड़ सकता है।

चित्र 19: सीपीआई-सी और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति

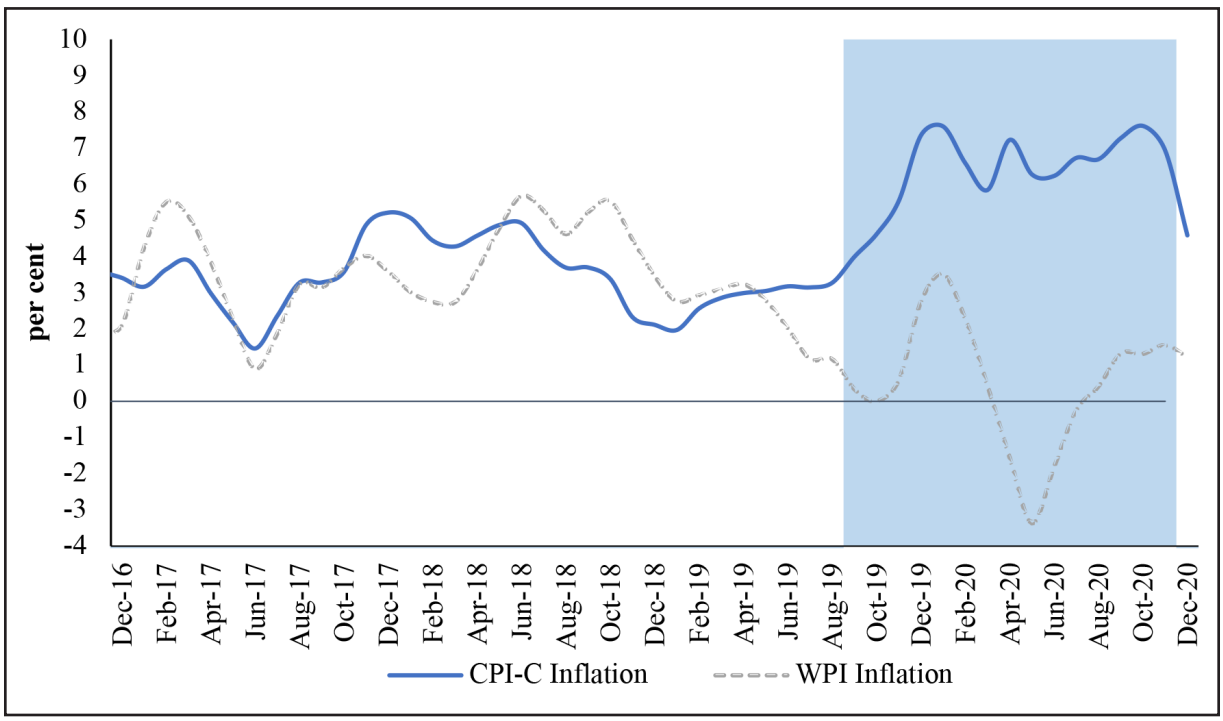

स्रोत: एनएसओ और ओईए, डीपीआईआईटी

नोट: ग्राफ में छायांकित क्षेत्र उस अवधि को दर्शाता है जब उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति गैर-खाद्य मुद्रास्फीति से अधिक रही है

5.27 अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 की अवधि के लिए, सीपीआई-सी कमजोरी से आईआईपी विकास से संबंधित है जबकि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई-सी कोर मुद्रास्फीति सकारात्मक और मजबूती से आईआईपी विकास से संबंधित रहा है, और इसी वजह से, कोर सीपीआई-सी मुद्रास्फीति और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में मांग की स्थितियों के साथ अधिक तालमेल वाला रहा है। अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 की अवधि में,

आईआईपी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के बीच सहसंबंध गुणांक लगभग 0.8 रहा जबकि सीपीआई-सी कोर मुद्रास्फीति और आईआईपी वृद्धि के बीच सहसंबंध गुणांक 0.9 रहा है। इसी अवधि में, आईआईपी वृद्धि और सीपीआई मुद्रास्फीति के बीच सहसंबंध 0.2 रही। इसी प्रकार, हम भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन और मांग के अन्य मैट्रिक्स के साथ सीपीआई कोर मुद्रास्फीति और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के गहन सहसंबंध को देख सकते हैं (तालिका 5)।

तालिका 5: वर्ष 2020-21 में सीपीआई-सी, कोर और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के साथ उत्पादन/मांग मैट्रिक्स का सहसंबंध#

	सीपीआई-सी मुद्रास्फीति	सीपीआई-सी गैर-खाद्य गैर-ईंधन (कोर)	डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति
ट्रैक्टर उत्पादन में वृद्धि *	−0.34	0.87	0.68
वाहन पंजीकरण में वृद्धि *	−0.27	0.78	0.89
आठ कोर इंडस्ट्रीज की कुल वृद्धि	0.20	0.90	0.75
कोयले के उत्पादन में वृद्धि	0.65	0.62	0.86
कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि	0.11	0.57	0.56
प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि	0.19	0.97	0.77
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का विकास	−0.06	0.61	0.51
उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि	−0.43	0.42	−0.10
स्टील के उत्पादन में वृद्धि	0.14	0.89	0.71
सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि	−0.08	0.79	0.45
बिजली के उत्पादन में बढ़ना	0.48	0.91	0.85
आईआईपी वृद्धि	0.23	0.92	0.77

नोट: # अप्रैल-नवंबर, 2020

* अप्रैल-दिसंबर, 2020

लाल रंग में छायांकित क्षेत्र 0.60 से अधिक सहसंबंध गुणांक का संकेत करता है

स्रोत: ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन, वीएएचएएन डैशबोर्ड, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी और एनएसओ

5.28 अत्यधिक मांग की वजह से बढ़ती तेज मुद्रास्फीति की गति पर लगाने में एक सख्त मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यद्यपि, मौजूदा परिदृश्य एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल की वजह से सीपीआई मुद्रास्फीति में मौजूदा तेजी मुख्य रूप से आपूर्ति-पक्ष से संबंधित घटना है। इसका मूल्यांकन इस तथ्य से किया जा सकता है कि कृषि वस्तुओं जैसे प्याज,

टमाटर और आलू की बाजार में आवक-जिनकी कीमतों में हाल के समय में उछाल देखने को मिला है-गत वर्ष की तुलना में बहुत कम रही है (चित्र 20)। इसके अतिरिक्त, सीपीआई-सी में सभी वस्तुओं का वजन एनएसओ घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2011-12 पर आधारित है। वर्ष 2011-12 के बाद के दशक में, सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के वजन में शायद महत्वपूर्ण कमी आई होगी। सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के संशोधित वजन को कैप्चर करने की जरूरत है ताकि देश में मुद्रास्फीति की सही तस्वीर पेश की जा सके। इसके अतिरिक्त, खुदरा ई-कॉमर्स लेनदेन के बढ़ते संदर्भ में, निर्माण मूल्य सूचकांकों के लिए मूल्य डेटा के ऐसे नए स्रोतों को शामिल करना आवश्यक है।

चित्र 20: प्याज, टमाटर और आलू का बाजार में आवक

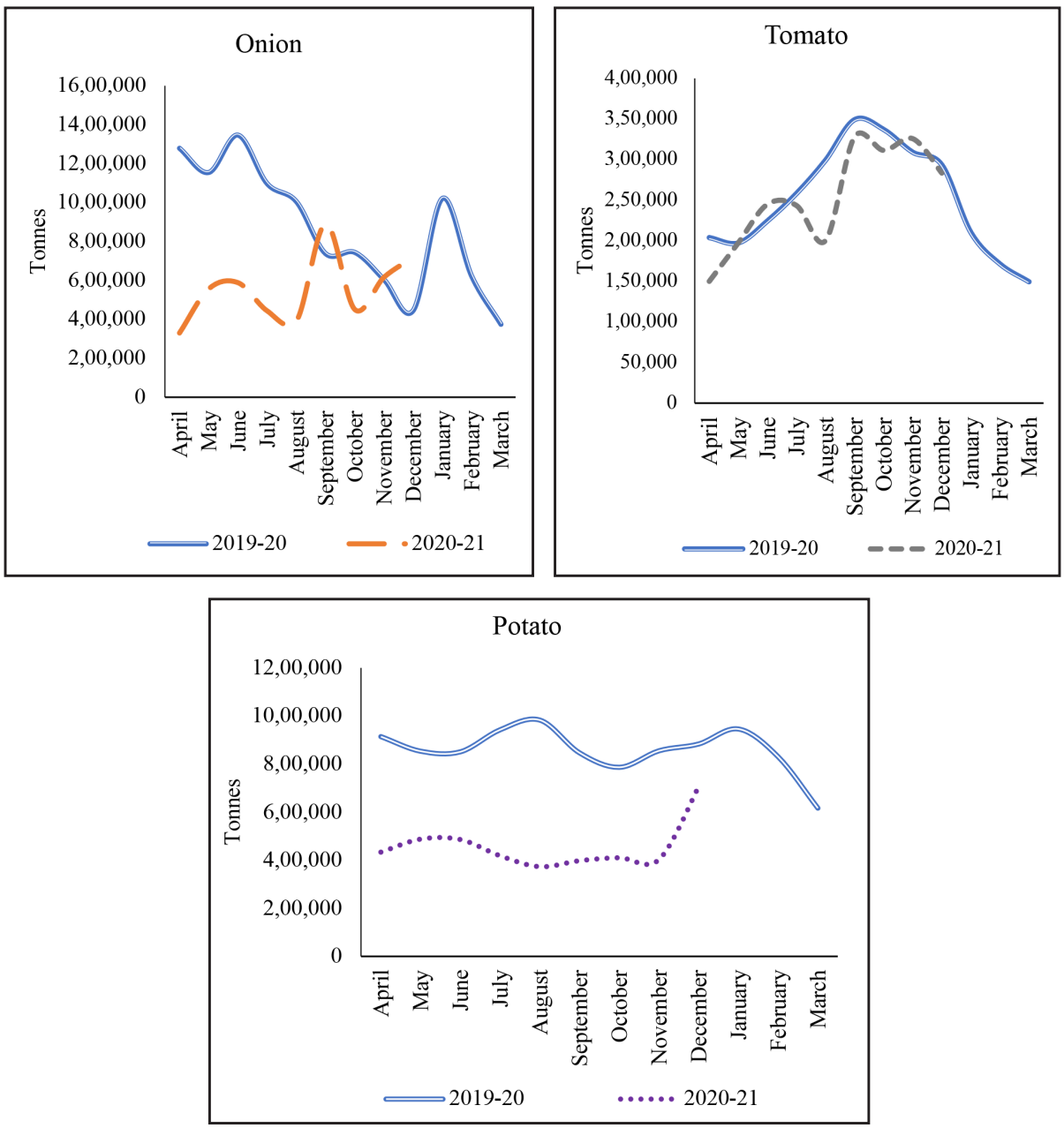

स्रोत: सीएमआईई

बॉक्स 3: मौद्रिक नीति के लक्ष्य के रूप में हेडलाइन मुद्रास्फीति या कोर मुद्रास्फीति

अनेक विशेषज्ञ कोर मुद्रास्फीति (खाद्य, ईंधन और अन्य संवदेनशील घटकों को छोड़कर) को मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति के बेहतर मापक के रूप में देखते हैं। इसका कारण यह है कि खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में उछाल अल्पकालिक और मुख्य रूप से आपूर्ति की कमी से उत्पन्न होती हैं और इसलिए यह एक अस्थायी स्थिति होती है। इस क्षेत्र में सैद्धांतिक कार्यों में मूल्य और/या वेतन स्थिरता वाले मॉडल का उपयोग कर यह दिखाया गया है कि कोर मुद्रास्फीति पर लगाम कसने से कल्याणकारी स्थिति को अधिकतम करने में सहायता मिलती है। जब कीमतें अस्थिर रहती हैं, तब मूल्य-वृद्धि में उतार-चढ़ाव होता है और इस कारण से सापेक्ष कीमतों में विकृति आती है। इन सभी मॉडलों में, लचीली कीमत के संतुलन को केंद्रीय बैंकों द्वारा बहाल किया जाता है ताकि अस्थिर कीमतों को लक्षित करके इन उतार-चढ़ाव को कम किया जा सके। अधिकांश साहित्यों में यह मान लिया जाता है कि बाजारें पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। यद्यपि, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, इन मान्यताओं में दो विचलनों को देखा जा सकता हैं: 1) अपने जीवनकाल की खपत को सुचारू करने में एजेंटों की असमर्थता और 2) अन्य संरचनात्मक अंतर जैसे कि घरेलू खपत व्यय में खाद्य पदार्थों का बड़ा हिस्सा (आनंद और अन्य, 2015)। यदपि आनंद और अन्य, 2015 ने विरोध किया कि पूर्ण बाजारों के अंतर्गत, सख्त कोर मुद्रास्फीति को लक्षित करने का विकल्प सर्वश्रेष्ठ नीति है, तथापि अपूर्ण बाजारों में, कोर मुद्रास्फीति लक्ष्य-निर्धारण के सापेक्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कल्याणकारी सुधार है। हालाँकि, आनंद और अन्य, 2015 के समान व्यवस्था का उपयोग करके, पोर्टिल्लो और अन्य (2016) ने पता लगाया कि कोर (गैर-खाद्य) मुद्रास्फीति का स्थिरीकरण क्रेडिट की कमी वाले उपभोक्ताओं वाले अर्थव्यवस्था के मामले में भी अनुकूलतम स्थिति के बहुत निकट है। अपने मॉडल के आधार पर, पोर्टिल्लो और अन्य (2016) ने पता लगाया कि लक्ष्यीकरण के लिए मुद्रास्फीति के अनुकूलतम माप में खाद्य मुद्रास्फीति का बहुत कम वजन (महत्त्व) होता है। हैडलाइन सीपीआई में खाद्य के वजन (महत्त्व) की तुलना में यह वजन (महत्त्व) बहुत ही कम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा एकत्र आंकड़ों का हाल ही में आरबीआई के एक कार्यकारी पत्र (नाधानैल, 2020) ने भारत में 45 खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर साप्ताहिक आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इस शोध पत्र के अनुसार खाद्य उत्पादों के बीच मूल्य अस्थिरता की सीमा में विविधता देखने को मिलती है। खाद्य पदार्थों की कीमतें औसतन 1.29 महीनों में बदलते रहती हैं। सब्जियों की कीमतें अन्य खाद्य-वस्तुओं के कीमतों की तुलना में बार-बार बदलती हैं (औसतन महीने में दो बार), जबकि दालों की कीमत लगभग प्रत्येक 2 महीने में तीन बार बदलती है, वही दूध की कीमतें पांच महीने में एक बार बदलती हैं। इसी तरह, अंडे, मांस और मछली की कीमतें औसतन महीने में एक बार बदलती हैं जबकि अनाज की कीमतें लगभग प्रत्येक साढ़े तीन महीने में एक बार बदलती हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता से संबंधित व्यापक परिवर्तन के इस खोज को ध्यान में रखते हुए, यह शोध पत्र सुझाव देता है कि हमें कोर मुद्रास्फीति के अलावा खाद्य मुद्रास्फीति के अस्थिर घटकों पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए।

मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ

5.29 मौजूदा वर्ष के दौरान सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के लिए एक वर्ष आगे के मुद्रास्फीति के अनुमानों में वृद्धि हुई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद के व्यावसायिक मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के

सर्वेक्षण के अनुसार, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के लिए एक वर्ष आगे की मुद्रास्फीति का अनुमान फरवरी 2020 में 4.0 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर अक्टूबर 2020 में 4.4 प्रतिशत हो गई। घरों के मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के सर्वेक्षण, जिसका आयोजन आरबीआई ने किया, के अनुसार मार्च 2020 के 9.1 प्रतिशत मुद्रास्फीति की तुलना में नवंबर 2020 में 9.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, हालाँकि सितंबर 2020 की तुलना में यह कम थी। मुद्रास्फीति अनुमानों की गति कमोवेश सीपीआई-सी द्वारा मापे गए मौजूदा मुद्रास्फीति की गति की दिशा में रही है (चित्र 21)। सीपीआई-सी के मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण घटक होने की वजह से इसका एक महत्वपूर्ण निहितार्थ है। कीमतों में बदलाव का एक मीट्रिक होने की वजह से, जो घरों से संबंधित हो सकते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्षित करके मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता हैं।

चित्र 21: एक वर्ष का अग्रिम मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ और मौजूदा मुद्रास्फीति

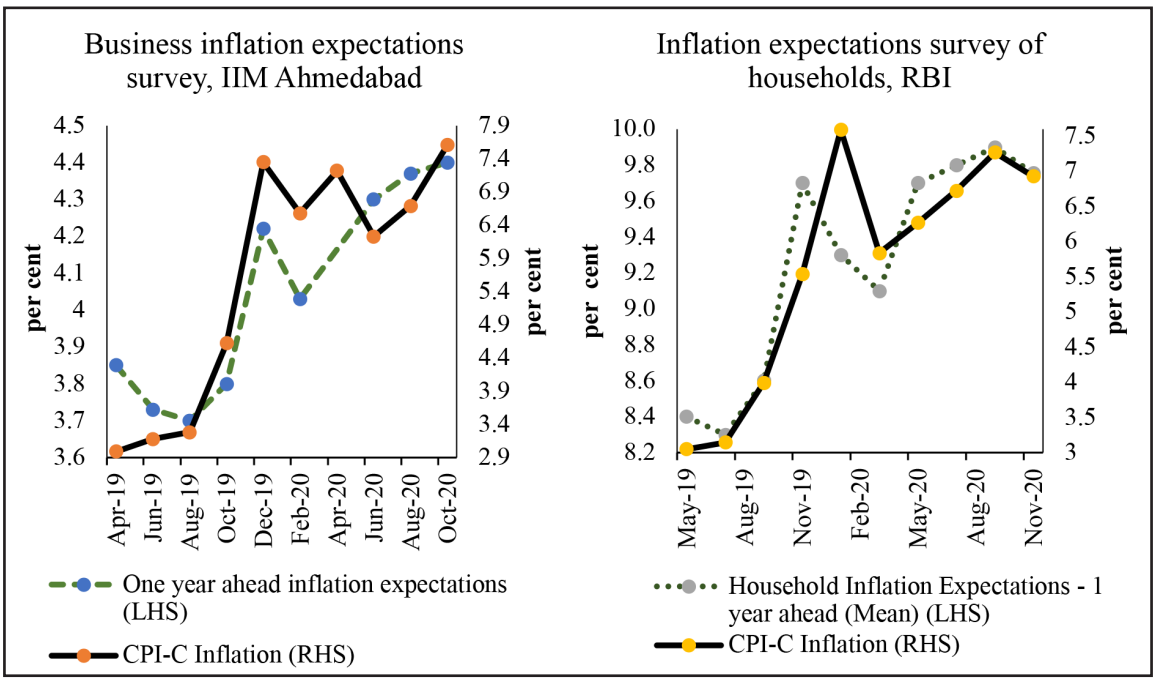

वैश्विक वस्तुओं की कीमतें

5.30 वर्ष 2019 के दौरान संपूर्ण विश्व में जिंसों की मांग कमजोर रहने और उसके बाद कोविड-19 महामारी की वजह से संपूर्ण विश्व में आरोपित प्रतिबंधों की वजह से इन वस्तुओं की मांग में परिणामी कमी के कारण कीमतों धातुओं और उर्वरकों की कीमतों को छोड़कर वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में दिसंबर 2019 के स्तर से जनवरी से अप्रैल 2020 के बीच गिरावट देखने को मिली। कोविड-19 का सबसे अधिक प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने की वजह से ऊर्जा की कीमतों पर पड़ा। हालाँकि, महामारी के बाद ओपेक+देशों (विश्व बैंक) द्वारा उत्पादन में कटौती की वजह से ऊर्जा की कीमतों में सुधार देखने को मिला है, हालाँकि उनका गत वर्ष के स्तर से अभी भी नीचे बना हुआ है। महामारी की वजह से आरोपित प्रतिबंधों की अवधि के दौरान कृषि वस्तुओं की कीमतें कमोबेश स्थिर बनी रही। इसे अन्य वस्तुओं की तुलना में इन वस्तुओं के लिए मांग की कम आय के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है (विश्व बैंक, 2020ए)। कृषि वस्तुओं,

धातुओं और खनिजों और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि अब सकारात्मक स्थिति में लौट आई है (चित्र 22)। खाद्य तेल की कीमतें कृषि वस्तुओं की कीमतों को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख दबाव कारक के रूप में डाल रही थी। चीन में अधिक औद्योगिक मांग की वजह से धातुओं की कीमतें बढ़ी हैं (विश्व बैंक, 2020बी)। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के (-) 14.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 (अप्रैल -दिसंबर) में ऊर्जा सूचकांक में वृद्धि औसत (-) 35.1 प्रतिशत रही। दूसरी ओर, वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के (-) 3.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 (अप्रल-दिसंबर) में कृषि सूचकांक में वृद्धि औसत 5.2 प्रतिशत रही। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के 12.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 (अप्रल-दिसंबर) में कीमती धातुओं में 28.9 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली।

चित्र 22: अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में रुझान (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)

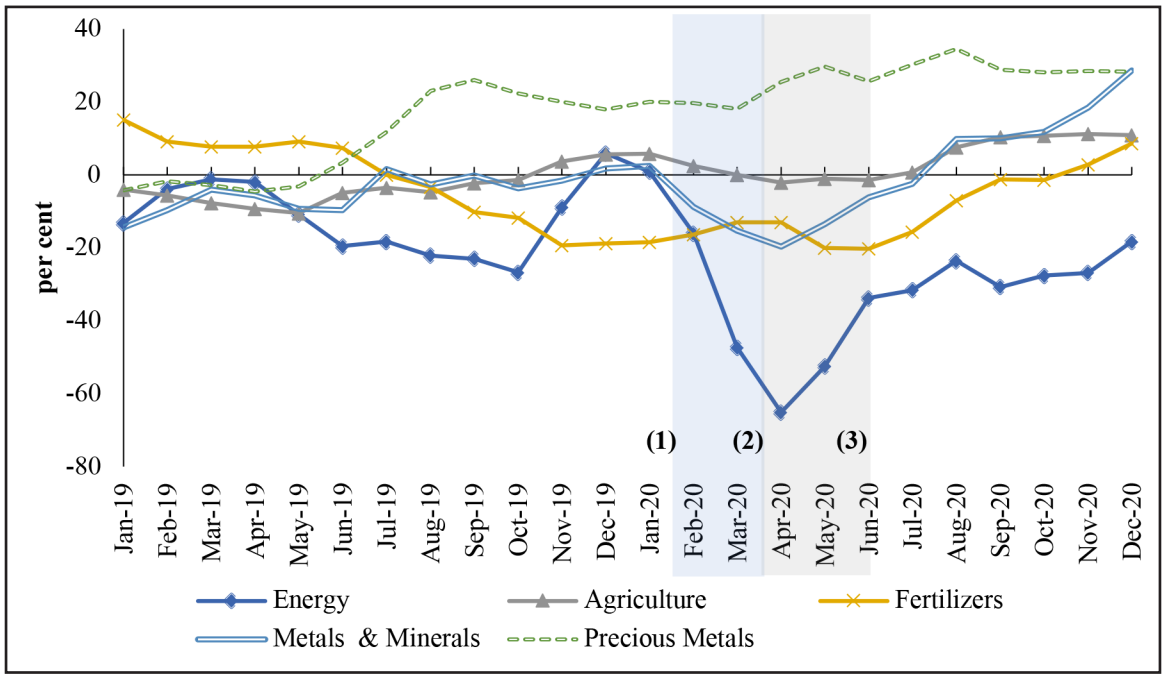

नोट: (1) कोविड-19 के पहला मानव से मानव संचरण की पुष्टि जनवरी, 2020 में की गई

(2) मार्च, 2020 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा

(3) प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिबंध हटने लगे।

स्रोत: विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ; https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-timeline-idUSKBN23Z0UW

5.31 वर्ष 2020 के दौरान सोने की कीमतों में जबर्दस्त वृद्धि देखने को मिली। कोविड-19 की वजह उसे उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए निवेशकों ने सोने में निवेश करना शुरू दिया, जिसकी वजह से सोने की कीमते आसमान छूने लगी (चित्र 23)। समाचार पत्रों के लेखों की जानकारी और नीति संबंधी प्रतिनिधिक आर्थिक अनिश्चितता के आधार पर वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता (जीईपीयू) सूचकांक का निर्माण किया जाता है। (बेकर और अन्य, 2016)। जनवरी 2020 से, जीईपीयू में अत्यधिक वृद्धि होने की वजह से सोने की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी है। वास्तविकता यह है कि अन्य आस्तियों की तुलना में, वर्ष के दौरान सोने ने तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिलाभ दिया है (चित्र 24)।

चित्र 23: वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता (जीईपीयू) और सोने की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन

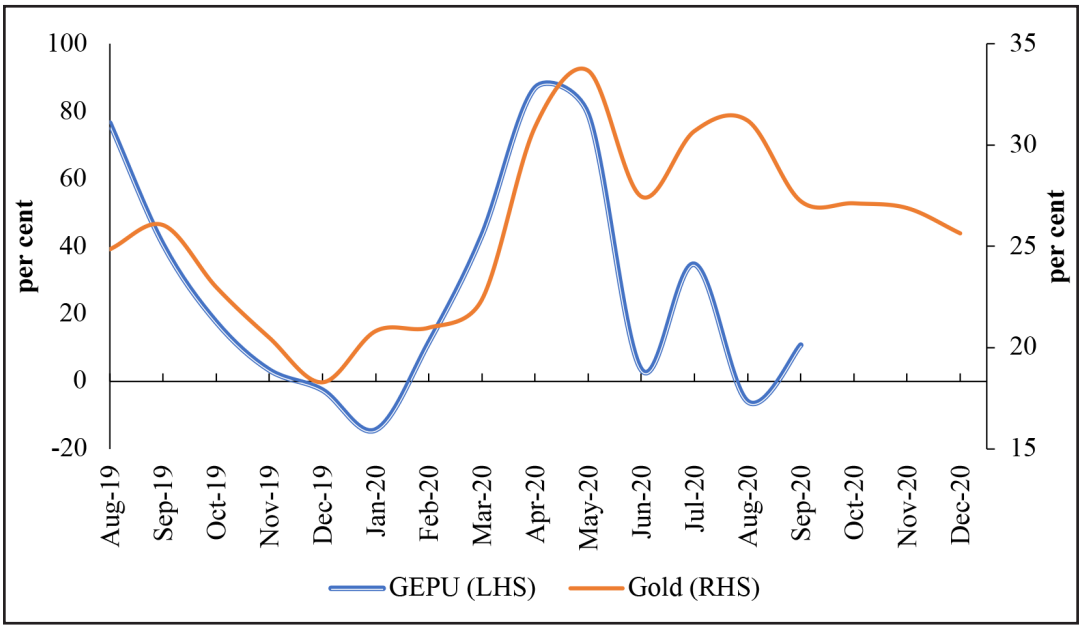

स्रोत: Baker, Scott R., Bloom, Nick and Davis, Stephen J., Global Economic Policy Uncertainty Index: Current Price Adjusted GDP [GEPUCURRENT,] retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/GEPUCURRENT. Gold prices from World Bank

नोट: वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक 20 देशों के लिए राष्ट्रीय ईपीयू सूचकांकों का जीडीपी-भारित औसत है: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, भारत, आयरलैंड, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, रूस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

चित्र 24: सोने और अन्य आस्तियों पर चालू वर्ष की 1 जनवरी से आज तक प्रतिलाभ

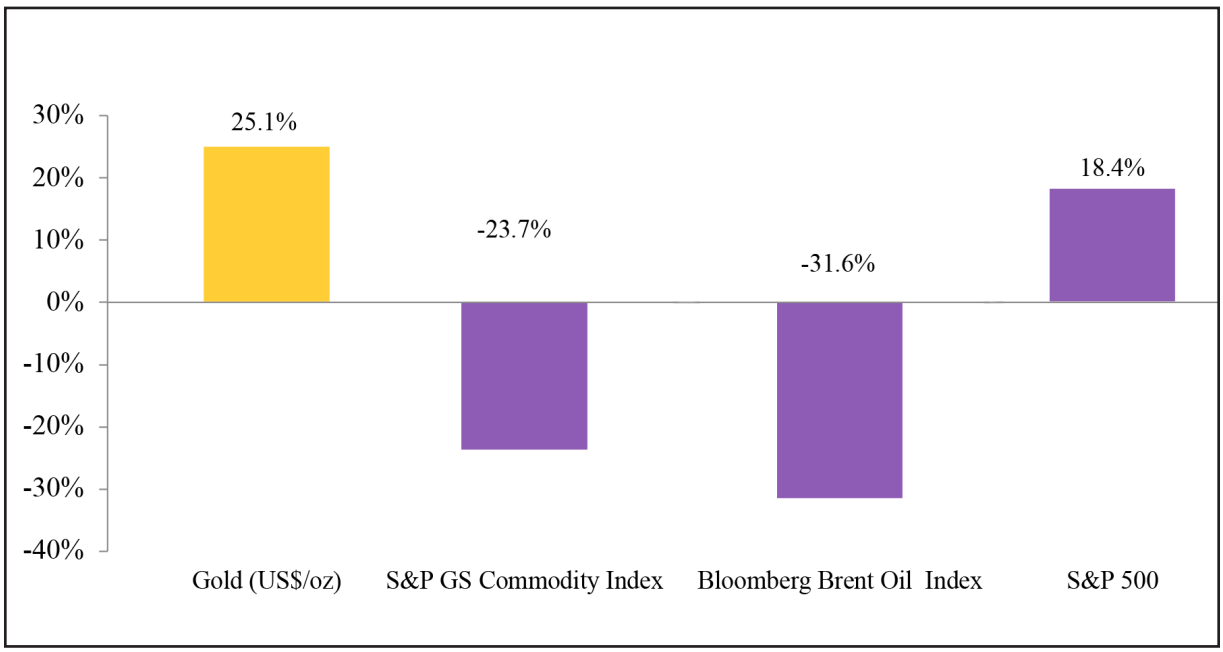

स्रोत: विश्व स्वर्ण परिषद

नोट: 31 दिसंबर 2020

दवा की कीमतों का विनियमन

5.32 भारत में दवाओं की कीमतों को विनियमित किया जाता है ताकि लोगों की इन जीवन-रक्षक दवाओं तक बेहतर पहुँच के साथ सस्ती दरों पर इनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निधारण प्राधिकरण (एनपीपीए) जो दवाओं के मूल्य निर्धारण और सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था के रूप में कार्य करती है, ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में एक सक्रिय भूमिका निभाई है और संपूर्ण देश में जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। सर्वसाधारण के हित में इसने असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीति हेपरिन और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जीवन रक्षक दवाओं तक सर्वसाधारण की पहुंच बढ़ें। एनपीपीए हेपरिन की अधिकतम कीमत को छह महीने के लिए संशोधित किया है ताकि महामारी के दौरान इसकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकें। हेपरिन को एक आवश्यक कोविड-19 प्लस दवा माना जाता है और व्यापक रूप से कोविड-19 के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। सार्वजानिक हित में एनपीपीए ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) और ऑक्सीजन इन्हेलेशन (मेडिसिनल गैस) की कीमतों पर छह महीने के लिए नियंत्रण लगाया है। एनपीपीए द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने से संपूर्ण देश में, विशेष रूप से सुदूर और दूरस्थ क्षेत्रों में, मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता बेहतर हुई है। देश में सस्ती कीमत पर एन95 मास्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, एनपीपीए ने एन95 मास्कों के निर्माताओं/आयातकों/आपूर्तिकर्ताओं को गैर-सरकारी खरीद के लिए कीमतों में समानता बनाए रखना और उचित मूल्य पर समान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। एनपीपीए द्वारा ऐसी सलाह मिलने के बाद, प्रमुख निर्माताओं/आयातकों/आपूर्तिकर्ताओं ने एन95 मास्कों की कीमतों को 67 प्रतिशत तक कम किया है। कोविड-19 के दौरान निर्माताओं/विपणन-कर्ताओं द्वारा लाभ कमाने की प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिए एनपीपीई ने जनता के हित में अपने हस्तक्षेपों में सुधार किया। हालाँकि, इस रणनीति का एक अन्य लाभ यह रहा कि उद्योग के लिए घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए गुणवत्ता वाले मानक चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाया।

5.33 महामारी अवधि के दौरान, सरकार ने अंतर-मंत्रालयी अधिकार-प्राप्त समिति का गठन विदेशी सरकारों द्वारा अनुरोध किए गए दवाओं विशेष रूप से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन (एचसीक्यू) और पेरासिटामोल के निर्यात के लिए अनुशंसा करने के उद्देश्य से किया गया। एनपीपीई ने इन दवाओं के निर्माताओं के साथ सहयोग कर एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का निर्माण किया ताकि इन दवाओं का उत्पादन और आपूर्ति निर्बाध रूप से की जा सके। अंतर मंत्रालयी अधिकार-प्राप्त समिति की अनुशंसाओं के आलोक में, फार्मास्युटिकल्स विभाग/एनपीपीई ने अनुशंसा/आदेश जारी किए, जिसने एमईए/डीजीएफटी को एचसीक्यू के संबंध में 114 देशों और पैरासिटामोल के संबंध में 24 देशों के प्रति विभिन्न निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया, जिसमें सार्क देश भी शामिल हैं। अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा हस्तक्षेप करने पर, मार्च-मई के दौरान हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की निर्माण इकाइयों की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई, देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की उत्पादन क्षमता तीन गुना बढ़ गई है, अर्थात लगभग 10 करोड़ टैबलेट प्रति माह से बढ़कर लगभग 30 करोड़ टैबलेट प्रति माह हो गई है। मौजूदा समय में, भारत में अपनी घरेलू आवश्यकताओं से अधिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन गोलियों का उत्पादन हो रहा है।

एनएचबी रेसिडेक्स

5.34 आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) एक भौगोलिक सीमा के भीतर आवासीय संपत्ति की कीमतों में उतार-चढ़ाव का एक व्यापक माप है। त्रैमासिक अपडेशन वाले 50 शहरों के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आध

ार पर नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) रेसिड़ेक्स एचपीआई @ असेसमेंट प्राइस और एचपीआई/मार्केट प्राइस-विनिर्माण के अधीन परिसंपत्तियों के दो आवास मूल्य सूचकांक को कैप्चर करता है। कम्पोजिट एचपीआई @ असेसमेंट प्राइस, जो जून 2013 में 83 पर थी, मार्च 2020 में समाप्त हुए तिमाही में 111 पर पहुँच गई है। इन वर्षों के दौरान, यह सूचकांक 4.4 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर से बढ़ी है। निर्माणाधीन परिसंपत्तियों के लिए कम्पोजिट एचपीआई @ असेसमेंट प्राइस, जो जून 2013 में 85 पर थी, मार्च 2020 में समाप्त हुए तिमाही में 104 पर पहुँच गई है। इन वर्षों के दौरान, यह सूचकांक 3.0 प्रतिशत के सीएजीआर की दर से बढ़ी है। त्रिमाही-दर-त्रिमाही आधार पर 20 मार्च से 20 जून तक एचपीआई @ असेसमेंट प्राइस के लिए लेनदेन की कुल संख्या में 71 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जबकि 19 जून से 20 जून तक वर्ष-दर-वर्ष के आधार लेनदेन में 67 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो यह दर्शाता है कि कोविड-19 संकट ने आवासीय अचल संपत्ति बाजार को काफी प्रभावित किया है। नई लिस्टिंग में बहुत कमी आई है और खरीदारों ने घर खरीदना भी कम कर दिया है।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

5.35 सरकार नियमित रूप से कीमतों की स्थिति की समीक्षा करती है और इसने खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए समय-समय विभिन्न उपाय किए हैं। दालों, प्याज, और आलू के बढ़ते कीमतों के मद्देनजर, इन जिंसों की उपलब्धता में सुधार करने और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में i. दिनांक 14.09.2020 के प्रभाव से प्याज के निर्यात को प्रतिबंधित करना, जिसे 1.01.2021 से निरस्त कर दिया गया, ii. ईसी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 23.10.2020 के प्रभाव से प्याज के स्टॉक को सीमित करने का आदेश लागू करना ताकि जमाखोरी को रोका जा सकें, यह आदेश 31.12.2020 को कालातीत हो गया, iii. आयात पर प्रतिबंधों को आसान बनाना, एकीकृत चेक-पोस्ट पर आयात की सुविधा देना, आयात के लिए लाइसेंस जारी करना और आयात शुल्क में कमी करना, शामिल है। इन उपायों के परिणामस्वरूप देश में प्याज, अरहर की दाल और मसूर दाल का आयात बढ़ा और इसके परिणामस्वरूप कीमतों में गिरावट आई।

अनुचित मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के अन्य उपायों में शामिल हैं:

1. मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना को कुशलतापूर्वक लागू किया जा रहा है और यह योजना दालों की कीमतों को स्थिर करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है और इसने सभी हितधारकों को महत्वपूर्ण लाभ दिया है। वर्ष 2016 में सरकार ने उचित बाजार हस्तक्षेप के लिए 20 लाख टन दालों के एक अद्वितीय बफर के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी) और लघु किसान कृषि व्यवसायी परिसंघ (एसएफएसी) द्वारा नवंबर 2015 से जुलाई 2017 के दौरान 16.71 लाख टन की घरेलू खरीद के माध्यम से 20.50 लाख टन दाल का बफर स्टॉक तैयार किया गया था जबकि धातु और खनिज व्यापार निगम और भारतीय स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 3.79 लाख टन का आयात किया था। वर्ष 2015-16 और 2016-17 खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) तथा वर्ष 2016-17 और 2017-18 रवि विपणन सत्र (केएमएस) के दौरान किसानों तथा किसान संघटनों से बफर स्टॉक की घरेलू खरीद की गई थी, जिससे लगभग 8.5 लाख किसान लाभान्वित हुए। अंतिम बार आयात नवंबर 2016 में अनुबंधित किया गया था, अर्थात, उस अवधि तक के लिए जब वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के दौरान घरेलू उपलब्धता कम थी।
2. सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी मंत्रालय/विभाग, जो पोषण से संबंधित योजनाओं को संचालित करते हैं, या भोजन/कैटरिंग/आतिथ्य सेवा उपलब्ध कराते हैं, वे सभी केंद्रीय बफर से दाल लेकर

इस्तेमाल करेंगे। बफर स्टॉक से दाल लेकर उसका उपयोग पीडीएस वितरण, मध्याह्न भोजन योजना और आईसीडीएस योजना में किया जा रहा है। साथ ही, सेना और केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बफर स्टॉक से दालों का इस्तेमाल किया जाता है। शेल्फ लाइफ, कुशल बफर प्रबंधन, बाजार मूल्य आदि जैसे गुणों के आधार पर शेष स्टॉक को बाजार में बेच दिया जाता है।

3. दालों के बफर स्टॉक का निर्माण करने से दालों के कीमतों को कम करने में बड़ी सहायता मिली है। दालों की कम कीमतों ने उपभोक्ताओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया। निर्मित बफर की खरीद से किसानों को पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त हुए क्योंकि बफर की खरीद किसानों से एमएसपी या उनसे उच्च दर पर की गई थी। इसने उत्पादन को प्रोत्साहित किया जिसकी वजह से दो लगातार वर्षों में बंपर उत्पादन हुआ और देश आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप आयात पर निर्भरता कम हुई जबकि विदेशी मुद्रा में सहवर्ती बचत में वृद्धि हुई।

4. तदुपरांत, सरकार ने निर्णय लिया कि एमएसपी पर खरीद कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की मूल्य समर्थन योजना के अधीन की जाएगी और पीएसएफ के अधीन खरीद जरूरी नहीं होने की दशा में उपयुक्त बफर निर्माण की आवश्यकता को पीएसएस स्टॉक से पूरा किया जाएगा। चूँकि रबी-17 के बाद से खरीद पीएसएस के एमएसपी परिचालन के अधीन की गई थी, कृषि और सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग के मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अधीन खरीदी गई दालों को तब से पीएसएफ को बफर आवश्यकताओं को पूरा करने की सीमा तक चौनलाइज किया गया। अप्रैल 2019 से, पीएसएफ के अधीन बफर को फिर से भरने के लिए पीएसएस से पीएसएफ में लगभग 20.07 लाख टन मीट्रिक टन स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों से प्राप्त अनुरोध और डीएसीएफडब्ल्यू द्वारा समर्थन के आधार पर, केएमएस 2019-20 के दौरान एमएसपी के अधीन पीएसएफ पर 1.86 लाख मीट्रिक टन तूर की खरीदी गई। इसके अलावा, पीएसएफ के अधीन आरएमएस 2020 के दौरान बाजार मूल्य पर लगभग 93 एमटी मसूर की खरीद की गई थी।

5. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भी अपने राज्य स्तर पर पीएसएफ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और असम को वित्तीय सहायता दी गई है।

6. भारत सरकार ने मोजाम्बिक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है ताकि भारत में दालों (तूर और अन्य दालों) की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। एमओयू 2020-21 के दौरान 2 एलएमटी दालों के आयात की कल्पना की गई है।

7. पीएमजीकेवाई और एएनबी पैकेज के अधीन मुफ्त आपूर्ति के लिए पीएसएफ बफर से दालों का इस्तेमाल किया जा रहा हैं। इससे कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

8. भारत सरकार बाजार मूल्य को स्थिर करने के लिए पीएसएफ के अधीन प्याज के बफर स्टॉक को बनाए रखती है। कीमतों और उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए कमजोर मौसम/अवधि के दौरान बफर स्टॉक से प्याज खुदरा एजेंसियों/राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को खुदरा हस्तक्षेप और खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से एक अंशांकित तरीके से जारी किया जाता है। सितंबर 2020 से प्याज की मध्यम कीमतों को कम करने के लिए, रबी 20 सत्र में प्याज का लगभग 1 एलएमटी का बफर स्टॉक अंशांकित तरीके से जारी किया गया है। सरकार ने खरीफ 2020-21 के दौरान 1 एलएमटी प्याज की खरीद के लिए स्वीकृति दी है। प्याज के मुल्य का मौसमी विश्लेषण व प्रभावी नीतिगत उपायों को बाक्स 4 में चर्चा की गई है।

बॉक्स 4: प्याज की कीमतें और बफर स्टॉक की नीति

वर्षों के दौरान, यह देखा गया है कि अगस्त-सितंबर की अवधि में प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती है। खुदरा कीमतों में वृद्धि होने की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा बफर स्टॉक का निर्माण करने के बावजूद ऐसा होता है, जो भारत में सब्जियों की कीमतों में स्थिरता के लिए समुचित नीति के आभाव को रेखांकित करता है।

प्याज की खुदरा कीमतें (2015-2020)

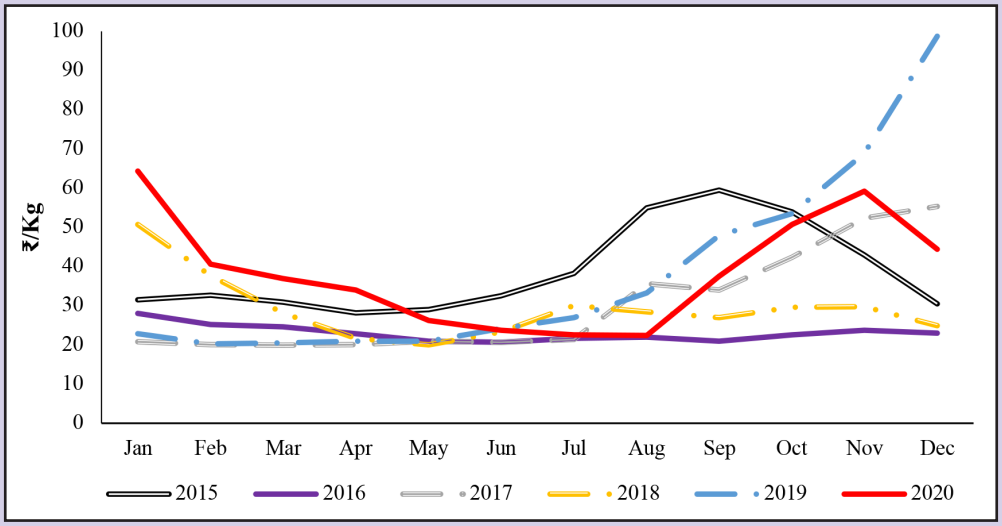

स्रोत: पीएमसी, डीसीए

कीमतें अगस्त से नवंबर के दौरान क्यों आसमान छूने लगती हैं?

रबी फसल की कटाई अधिकांश राज्यों में मार्च और मई के महीने में होती हैं और फसल को जून-जुलाई अवधि में बेचा जाता है। खरीफ फसल की कटाई अधिकांश राज्यों में अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती हैं और बाजार में फसल रबी फसल आने तक उपलब्ध रहती है। इन दोनों के बीच की अवधि अगस्त से नवंबर के बीच में होती है जब हम देखते हैं कि प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं।

सरकार द्वारा किए गए नवीनतम नीतिगत उपाय:

सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए अनेक सक्रिय उपाय किए हैं। 23.10.2020 को, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 (थोक विक्रेताओं के लिए 25 एमटी और खुदरा विक्रेताओं के लिए 2 एमटी) के अंतर्गत 31.12.2020 की अवधि के लिए प्याज के भंडारण की सीमा नियत कर दी गई। प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए, सरकार ने प्याज के निर्यात पर 14.09.2020 को प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर एक अग्रिम कदम उठाया। यह उपाय खरीफ प्याज के अपेक्षित आगमन से पहले सस्ती कीमतों पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2020 के रबी प्याज की फसल के 1 एलएमटी स्टॉक को बेचने की प्रक्रिया तेज कर दी, जो कि पिछले वर्ष की मात्रा से दोगुना था। इसके अतिरिक्त, प्याज को खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से बेचा जा रहा हैं। साथ ही, सरकार ने निजी कंपनियों के माध्यम से आयात को बढ़ावा दिया है, यह भी निर्णय लिया गया है कि मांग और आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए एमएमटीसी लाल प्याज का आयात शुरू करेगा।

सरकार के उपायों की प्रभावशीलता

वर्ष 2019 में, एनएएफईडी ने लगभग 58288 टन के बफर स्टॉक का निर्माण किया, जिसमें से 18808 टन प्याज क्षतिग्रस्त हो गया, घटिया गुणवत्ता के होने की वजह से 33313 टन को स्थानीय बाजार में बेच दिया गया और केवल 6167 टन का वितरण राज्यों के मध्य किया गया। इस बार, स्थिति थोड़ी बढ़िया है। एनएएफईडी ने लगभग 99000 टन के बफर स्टॉक का निर्माण किया है, जिसमें से केवल 25,000 टन के क्षतिग्रस्त होने का अनुमान लगाया गया है, हालाँकि, राज्यों के मध्य वितरित 11653 टन स्टॉक अभी भी (नवंबर 2020 तक) कम था।

प्याज के स्टॉक की स्थिति

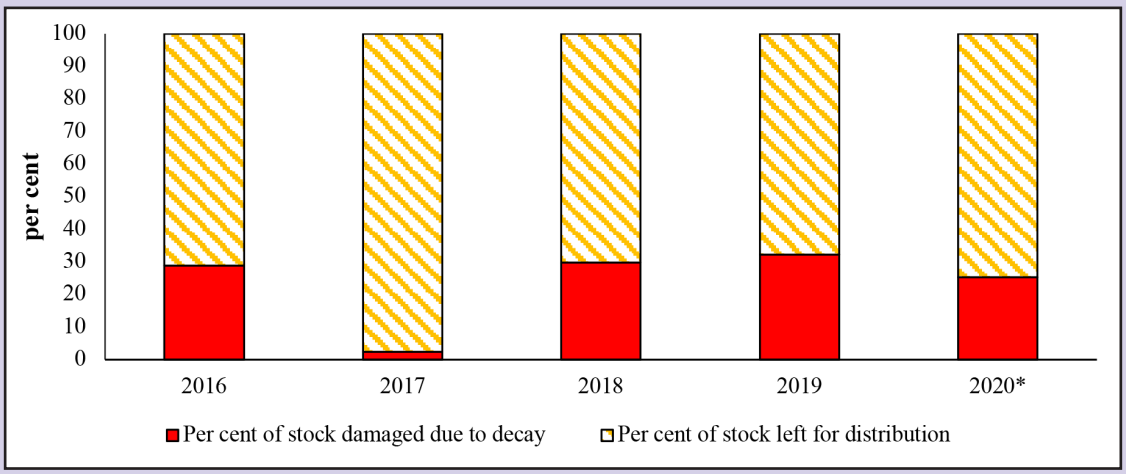

स्रोतः एनएएफईडी

* राज्य सरकार और स्थानीय बाजार के लिए स्टॉक को भेजने का कार्य प्रगति में हैं

प्याज के स्टॉक का वितरण

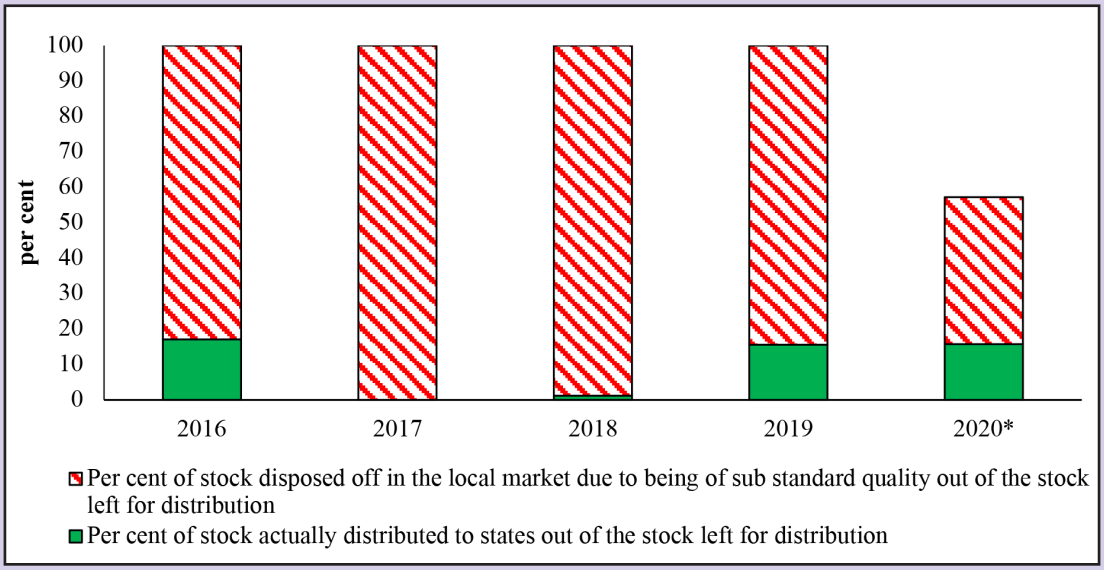

स्रोतः एनएएफईडी

* राज्य सरकार और स्थानीय बाजार के लिए स्टॉक को भेजने का कार्य प्रगति में हैं

एनएएफईडी प्याज के अपने बफर स्टॉक का निर्माण शीत भंडारण के विपरीत परंपरागत विधियों से करता है, जिसकी वजह से बर्बादी में वृद्धि होती है। आकड़ों के अनुसार, लगभग 100 प्रतिशत खरीदा गया स्टॉक परंपरागत और पारंपरिक रूप से डिजाईन की गई भंडारण सुविधाओं में स्टोर किया जाता हैं। वर्ष 2020 में, लगभग 15 प्रतिशत स्टॉक को एनएचआरडीएफ द्वारा लोकप्रिय बनाएं गए आधुनिक और सुसज्जित सुविधाओं में भंडारित किया गया है। असामयिक वर्षा तथा अधिक नमी जैसी मौसम की प्रतिकूल स्थितियों की वजह से, अपशिष्ट की स्थिति और आगे गंभीर हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, एनएएफईडी प्याज का भंडारण मुख्य रूप से तीन राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में करता हैं। केवल तीन राज्यों में स्टॉक के सकेंद्रीकरण से यह प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। सबसे बढ़कर, यह जरूरत होने पर तुरंत कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देती है, बजाए इसमें विलंब करती है। समुचित निगरानी के साथ खरीद और भंडारण की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था संपूर्ण प्रणाली को सशक्त बना सकती है।

सुझाव

1. एनएएफईडी ने जुलाई 2020 में एक सकारात्मक कदम उठाया, इसने राज्य सरकारों से कमजोर महीने में अपनी जरूरतों को अग्रिम में भेजने का अनुरोध किया ताकि भंडारित प्याज के स्टॉक नियोजित तरीके से समय पर निकला जा सके ताकि खुदरा कीमतों पर एक हितकर प्रभाव पड़े, जो अगस्त के अंत से नवंबर तक की अवधि में अधिक हो जाता हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए पहले से और अच्छी तरह से किया जा सकता है।

2. एक पारदर्शी ऑनलाइन प्लेटफार्म होना चाहिए, जहाँ राज्यों की आवश्यकताओं का विवरण, राज्य-वार और महीना-वार की गई खरीद, राज्य-वार, एजेंसी-वार, महीने-वार वितरित राशि को बेहतर योजना निर्माण और निर्णय लेने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

3. महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्याजों का व्यापक पैमाने पर भंडारण पारंपरिक रूप से डिजाइन की गई संरचनाओं में किया जाता है। अन्य राज्यों में, भंडारण का कार्य लघु स्तर पर किया जाता है लेकिन अब लेकिन अब कटाई के बाद की बढ़ती तकनीक और बेहतर भंडारण संरचनाओं को दिखाते हुए एनएचआरडीएफ द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। भंडारण की परंपरागत तकनीक से भंडारित प्याज की बहुत अधिक क्षति होती थी, इसलिए, बेहतर भंडारण संरचनाओं के उपयोग के साथ-साथ भंडारित करने के लिए बेहतरीन किस्मों, उर्वरकों के विवेकशील इस्तेमाल, समय पर सिंचाई और पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीक भंडारित प्याज में नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक है। (ऑपरेशन ग्रीन्स पोर्टल)।

4. ईवीआईएन के समान ट्रैकिंग तकनीक विकसित करना: ईवीआईएन (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) का लक्ष्य भारत में नए प्रतिजनों के लिए वैक्सीन वितरण, खरीद और योजना में सुधार नीति-निर्माण के लिए साक्ष्य आधार को मजबूत करना है। प्याज की आपूर्ति के लिए हमें ऐसी जटिल प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ईवीआईएन के सिद्धांतों के आधार पर एक सरल ट्रैकिंग प्रणाली का निर्माण पर्याप्त हो सकता है। यह प्याज के स्टॉक, भंडारण तापमान की निगरानी और नमी के स्तर पर वास्तविक समय की जानकारी देने और किसी भी मानदंड के उल्लंघन पर अधिकारियों को सचेत करने में मदद कर सकता है।

5. बफर स्टॉक के लिए लंबे समय तक शैल्फ जीवन वाले निर्जलित प्याज का उपयोग किया जाना चाहिए। नमीयुक्त किस्म को जल्दी बेचा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

5.37 वर्ष 2020-21 के दौरान, खुदरा और थोक मुद्रास्फीति में विपरीत दिशा में गतिशीलता देखने को मिली। जबकि गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी देखने को मिली, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की गति मंद ही रही। कोविड-19 महामारी की वजह से आपूर्ति-पक्ष के चरमराने से खाद्य वस्तुओं से संबंधित खुदरा मुद्रास्फीति बुरी तरह से प्रभावित हुआ और इसने मुद्रास्फीति के समग्र रूप से बढ़ने में योगदान दिया। वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने और आवश्यक वस्तुओं के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए

सरकार द्वारा किए गए हस्तक्षेप से महामारी के प्रभाव के कम होने की संभावना है। खाद्य मुद्रास्फीति पहले ही दिसंबर में कमजोर हुई है जिससे समग्र मुद्रास्फीतिकारी दबाव में कमी आई। आगे बढ़ते हुए, खाद्य मुद्रास्फीति के कम होने पर, समग्र मुद्रास्फीति के और कम होने की संभावना है। दूसरी ओर, मांग की बढ़ती स्थितियों के वजह से निर्माताओं के लिए मूल्य निर्धारण शक्ति में सुधार के साथ डब्ल्यूपीआई के सकारात्मक क्षेत्र में बने रहने की संभावना है।

अध्याय पर एक नजर

- हैडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 6.6 प्रतिशत के औसत पर रही जबकि दिसंबर 2020 में 4.6 प्रतिशत के स्तर पर रही। ऐसा मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ने की वजह से हुआ, जो वर्ष 2019-20 के 9.1 प्रतिशत से वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में बढ़कर 9.1 हो गया और ऐसा होने का मुख्य कारण सब्जी की कीमतों में वृद्धि होना रहा है।
- वैश्विक स्तर पर, कोविड-19 के फैलने तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अंतराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से सुस्त आर्थिक गतिविधियों के कारण मुद्रास्फीति का स्वरूप कमजोर बना रहा।
- सीपीआई मुद्रास्फीति में ग्रामीण-शहरी अंतर, जो वर्ष 2019 में ऊँचें स्तर पर थी, उसमें वर्ष 2020 में गिरावट देखने को मिली। नवंबर 2019 के बाद से, सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति ने सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास किया है। खाद्य मुद्रास्फीति अब लगभग एक ओर झुक गई है, हालाँकि, ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति में विचलन को सीपीआई के अन्य घटकों जैसे ईंधन और विद्युत, वस्त्र और फूटवियर, विविध आदि में देखा जा सकता है।
- अप्रैल-अक्टूबर 2020 के बीच, सीपीआई हैडलाइन और इसके अधिकांश उप-समूहों की मुद्रास्फीति नवंबर 2020 तक, अधिकांश उप-समूहों के लिए कीमत की गति में पर्याप्त वृद्धि से प्रेरित था, संभवतया कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हुए शुरुआती व्यवधानों की वजह से ऐसा हुआ। नवंबर 2020 तक, अधिकांश उप-समूहों के लिए कीमतों की गति में पर्याप्त सुधार हुआ और सकारात्मक आधार प्रभाव के साथ इसने मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में योगदान दिया।
- वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के साथ-साथ वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति का मुख्य उत्प्रेरक खाद्य और पेय समूह था। इसका योगदान वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के 53.7 से बढ़कर वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 59 प्रतिशत हो गया।
- जुन 2020 और नवम्बर 2020 के थाली की लागत में वृद्धि हुई है। जबकि दिसम्बर में इसमें कमी आई है, जो दर्शाता है की बहुत सी आवश्क वस्तुओ की कीमत में कमी आयी है।

- राज्य-वार रूझानों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चालू वर्ष के दौरान अधिकांश राज्यों में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। यधपि, क्षत्रीय भिन्नता मौजूद रही है। मुद्रास्फीति वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर) में सभी राज्यों में 3.2 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच रही जो कि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान (-) 0.3 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत के बीच रही थी।
- मौद्रिक नीति के लिए एकल मानदंड के रूप में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति पर ध्यान देना उचित निर्णय नहीं हो सकता है। कोर मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के लिए के बढ़िया मुद्रास्फीति का मापक हो सकती है। ऐसा इसलिए कि खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि अल्पकालिक होती है और मुख्य रूप से आपूर्ति द्वारा प्रभावित होती है और इसलिए यह एक मौद्रिक घटना नहीं है।
- कीमतो में स्थिरता लाने के लिए बहुत सारे कदम उठाये गये हैं जैसे की प्याज के निर्यात में रोक, प्याज की जमाखोरी पर रोक और दाल के आयात के प्रतिबधों पर ढिलाई।
- सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के अपेक्षाकृत अधिक वजन के कारण खाद्य मुद्रास्फीति समग्र सीपीआई-सी मुद्रास्फीति को आगे बढ़ा रही थी। हालाँकि, वर्ष 2011-12, (सीपीआई के लिए आधार वर्ष) के बाद के दशक में खाद्य की आदतों में व्यापक परिवर्तन हुआ है, इसलिए सीपीआई के आधार वर्ष में संशोधन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स लेनदेन के बढ़ते संदर्भ में, मूल्य सूचकांक के निर्माण के लिए मूल्य के आकड़ों के ऐसे स्रोत को शामिल करना जरूरी है।
- कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए अल्पावधि उपायों के अलावा, हमें मध्यम से दीर्घावधि उपायों में निवेश करने की आवश्यकता है, जैसे विकेन्द्रीकृत शीत भंडारण की सुविधाओं के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के भंडारक को उत्पादन केन्द्रों पर उपलब्ध कराना, उर्वरकों का विवेकशील इस्तेमाल करना, समय पर सिंचाई करना और पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीक आदि भंडारित प्याज (ऑपरेशन ग्रीन्स पोर्टल) की हानि को रोकने के लिए जरूरी है। प्याज के बफर स्टॉक नीति की समीक्षा भी जरूरी है। नुकसान को कम करने, कुशल प्रबंधन और समय पर बाजार में भेजना सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विकसित करना जरूरी है।
- आयात नीति में एकरूपता पर ध्यान देने की जरूरत है। खाद्य तेलों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता आयात की कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव का जोखिम पेश करती है और आयात घरेलू खाद्य तेल बाजार के उत्पादन और कीमतों को भी प्रभावित करती है। इसके साथ ही खाद्य तेलों के आयात से संबंधित नीति में बार-बार बदलाव होने से किसानों/उत्पादकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और आयात में विलंब होता है।
- कोविड-19 द्वारा उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितताओं ने निवेशकों को सोने में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसकी वजह से सोने की कीमतों में जोरदार वृद्धि हुई। अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में, सोने ने वर्ष के दौरान अधिक लाभ दिया है।

REFERENCES

CACP. 2020. Price Policy for Kharif Crops: The Marketing Season 2020-21. Commission for Agricultural Costs and Prices.

Central Bank of Iceland. 2007. "Monetary Bulletin".

European Central Bank. 2005. "Monthly Bulletin", January, 2005.

Anand] Rahul, Eswar S. Prasad, and Boyang hZang. 2015. What measure of inflation should a developing country central bank target?". Forschungsinstitutzur Zukunft der Arbeit (IZA) Discussion Paper No. 9219.

Portillo, Rafael, Luis-Felipe Zanna, Stephen O' Connell, and Richard Peck. 2016. Implications of Food Subsistence for Monetary Policy and Inflation". IMF Working Paper WP 16/70, March, 2016.

Nadhanael, G V. 2020. "Are Food Prices Really Fleñible\ Evidence from India". RBI WPS (DEPR): 10/2020, September, 2020.

World Bank. 2020a. "A Shock Like No Other: The impact of COVID&19 on Commodity Markets¸ April" 2020.

World Bank. 2020b. "Commodity Markets Outlook", October, 2020.

Baker, Scott R., Nicholas Bloom and Steven J. Davis, 2016. Measuring Economic Policy Uncertainty". Quarterly Journal of Economics, Vol. 131, Issue 4, November, 2016.

परिशिष्ट-1

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

पृष्ठभूमि

आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु अधिनियम की आपूर्तियों की देखभाल अधिनियम, 1980 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन ''आवश्यक वस्तुओं" को धारा 2 ए में अनुसूची के अधीन अनिवार्य वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है। मौजूदा समय में सात जिंसों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया है। (1) दवाएँ; (2) उर्वरक, चाहे अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित; (3) खाद्य तेल, खाद्य तिलहन और तेल सहित; (4) रुई से पूर्ण रूप से बना हुआ सूत; (5) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; (6) कच्चा जूट और जूट वस्त्र; (7) (i) खाद्य फसलों के बीज और फल और सब्जियों के बीज; (ii) पशुओं के चारे का बीज; (iii) जूट बीज; (iv) कपास का बीज। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सरकार को आवश्यक वस्तुओं को विनियमित करने का अधिकार देता है। यह कार्य विनियमन, लाइसेंस, परमिट, खरीदने या बेचने के कीमतों पर नियंत्रण के माध्यम से, बिक्री को प्रतिबंधित कर/रोक लगा कर, किसी भी जानकारी/आंकड़ों के संग्रह, बहियों और खातों का निरीक्षण आदि के मध्यम से सरकार वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने तथा उचित मूल्य पर उनके समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करती है।

दिनांक 29.09.2016 को जारी किए गए आदेश से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता, स्टॉक को सीमित करने और पहचान किए गए खाद्य पदार्थों के आवागमन पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है, जब तक ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से आदेश नहीं दिया जाता है। सक्षम करने के आदेशों के अधीन कोई राज्य लाइसेंस, परमिट और अन्य नियंत्रण उपायों को लागू कर सकता है। अधिनियम के अधीन 'खाद्य पदार्थों' के संबंध में केंद्र सरकार की अधिकांश शक्तियों को राज्य सरकारों को 09.06.1978 के आदेश के मध्यम से सौंप दिया गया है जबकि खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए केंद्र सरकार की अधिकांश शक्तियों को राज्य सरकारों को दिनांक 9 30.11.1974 के आदेश से सौंप दिया गया है जिसका वे उपयोग करेंगे। अधिनियम के अधीन विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण आदि को विनियमित करने और आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के व्यापार के लिए नियंत्रण आदेश जारी किए हैं।

ईसी अधिनियम में संशोधन

हाल ही में, भारत सरकार ने 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है और आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 की धारा 3 में एक नया उप-खंड (1क) जोड़ा है।

धारा 3 (Iक) (क) में अब इस तथ्य का उल्लेख किया गया है अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तेल के बीज और तेल सहित खाद्य पदार्थों को केवल असामान्य परिस्थितियों में विनियमित किया जाएगा जिसमें युद्ध, अकाल, अतिरिक्त असाधारण मूल्य वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा शामिल हो सकती हैं।

धारा 3 (Iक) (ख) के अनुसार स्टॉक सीमा को लागू करने पर कोई भी कार्रवाई कीमतों में तीव्र वृद्धि पर आधारित होगी और यह नियम बारह महीने से पहले या पिछले पाँच वर्षों के औसत खुदरा मूल्य में से जो भी कम हो बागवानी उत्पादों के खुदरा मूल्य में सौ प्रतिशत वृद्धि और खराब नहीं होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में पचास प्रतिशत की वृद्धि होने पर लागू होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ किसी भी कृषि उपज के निर्यातकों, प्रसंस्करण-कर्ताओं और मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों के लिए उपयुक्त नियम से

छूट दी गई है।

संशोधन में उन सभी संस्थाओं को शामिल करने वाले मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों की एक परिभाषा शामिल है जो उत्पादन से लेकर उपभोग तक प्रत्येक चरण में मूल्य जोड़ते हैं। यह एक दूरदर्शी कदम है, जो सामान्य रूप से किसानों की आय और विकास की संभावनाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा और संपूर्ण कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

संशोधन की आवश्यकता

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 भारतीय कृषि में बदलाव लाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा परामर्श और विचार-विमर्श की एक लम्बी श्रृंखला की परिणति थी, जिसमें जिसमें कृषि और किसान कल्याण विभाग, नीति आयोग, और पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस क्षेत्र से संबंधित कई समस्याओं पर विचार-विमर्श किया था और विशेष रूप से कृषि उपज के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन सहित प्रमुख अनुशंसाएं की थीं।

जब सारा देश कोविड-19 महामारी की पीड़ा से कराह रहा था, वैसी नाजुक स्थिति में भी लचीले कृषि उद्योग ने आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण योगदान-कर्ता के रूप में अपनी क्षमता दिखाई। निवेश और विकास की गति तेज करने के लिए सुधारों को लागू करना तत्कालीन समय की मांग थी। व्यापार करने में आसानी के आधार पर एक सक्षम माहौल का निर्माण और ईसी अधिनियम के अधीन निरंतर वैधानिक नियंत्रणों के डर को दूर करना आवश्यक था और यह एक ऐसा सुधारात्मक कदम था जिसके बारे में उपरोक्त-वर्णित उच्चाधिकार समिति पहले से ही सुझाव दे चुकी थी।

संशोधन सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करता हैं: ईसी आयोग अधिनियम में संशोधन ''अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप" के डर को दूर करके किसानों, निर्यातकों, प्रसंस्करण-कर्ताओं, मूल्य श्रृंखला के अन्य प्रतिभागियों और उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के हित को संतुलित करता है। इसके साथ ही, कुछ असाधारण परिस्थितियों में विनियमन के लिए सरकार के पास शक्ति बरकरार रखी गई है।

यह संशोधन न केवल निर्यातकों, प्रसंस्करण-कर्ताओं और अन्य मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों को ईसी अधिनियम के तहत स्टॉक सीमा के दायरे से बाहर ले जाता है, बल्कि इन सीमाओं को लागू करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र भी उपलब्ध कराता है। अब मूल्य ट्रिगर्स को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है-अर्थात खराब होने वाले खाद्य-पदार्थों के लिए 100 प्रतिशत और खराब नहीं होने वाले खाद्य पदार्थों के कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि।

यह किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनेक विकल्प देता है: ईसी अधिनियम में संशोधन के साथ-साथ अन्य अध्यादेशों ने किसानों को अधिसूचित बाजार यार्ड के बाहर कृषि उपज की बिक्री और खरीद, अनुबंध खेती की सुविधा और किसानों को प्रत्यक्ष विपणन से जुड़ने की सुविधा दी है। यह किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगा और उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत पाने में मदद करेगा। अब ईसी अधिनियम के अधीन बहुत अधिक विनियमन और स्टॉक करने के डर के बिना बाजार के प्रतिभागी सीधे किसानों से कृषि उपज खरीद सकते हैं। इससे उपज का अधिकतम मूल्य पाने के किसानों की मोलजोल अर्थात सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी।

निजी निवेश को आकर्षित करने में सहायक होगा: ईसी अधिनियम के अधीन ''अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप" विशेष रूप से कटाई के बाद के कार्यों में कृषि क्षेत्र में निवेश के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा था।

जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड चेन और भंडारण सुविधाओं में निवेश करने में निजी क्षेत्र झिझक रहा था क्योंकि इनमें से अधिकांश वस्तुएं ईसी अधिनियम के दायरे में आती थीं और उन पर स्टॉक करने की सीमाएं अचानक लागू होती थीं। अब ईसी अधिनियम के अधीन निर्यातकों, प्रसंस्करण-कर्ताओं और अन्य मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों पर कोई भी सीमा लागू नहीं होगी। यह कदम अब निजी निवेश को आकर्षित करने में मददगार होगा। परिणामतः किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर भंडारण और बढ़िया कीमतें मिलेंगी।

मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों को बढ़ावा देकर खेती के दौरान कृषि उपज के बर्बादी को कम करेगाः एमओएफपीआई की वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीएचईटी) के एक अध्ययन के आकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि फसल की कटाई और कटाई के बाद मुख्य कृषि उत्पादों के होने वाले वार्षिक हानि का अनुमान 92,651 करोड़ रूपए लगाया गया है और यह अनुमान वर्ष 2014 के थोक कीमतों पर वर्ष 2012-13 के आकड़ों का उपयोग करते हुए लगाया गया है। फलों और सब्जियों को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ता है। खराब होने वाली कृषि उपजों की जबर्दस्त पैदावार होने के बावजूद भी किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं की मदद से इस नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता है और यह उपाय किसानों के लिए उत्पादकों के मूल्य को कम करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा। ईसी अधिनियम में संशोधन से मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों को एक बहुत आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि इन वस्तुओं में स्टॉक सीमा के अचानक नियमन के डर को पर्याप्त कम किया जाएगा।

कीमतों को स्थिर करने में सहायता करता हैः बाजार के प्रतिभागियों के इस क्षेत्र में पदार्पण मौजूदा समय की मांग है ताकि वे अपने निवेश से किसानों को स्थिर मूल्य उपलब्ध करा सकें। ईसी अधिनियम के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों से कृषि-खाद्य वस्तुओं को मुक्त करना संगठित व्यापार, बहुत जरूरी मूल्य स्थिरीकरण, शीत भंडारण और लोजिस्टिक में निवेश और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण के लिए निवेश को आकर्षित करेगी। यह निवेशकों की ईसी अधिनियम से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप के अंतर्निहित आशंकाओं को भी दूर करेगा। उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से व्यापक पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का दोहन होगा, जो निजी क्षेत्र/कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होगा।

उपभोक्ताओं की सुरक्षाः सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विनियामक माहौल को उदार बनाते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी सुनिश्चित किया है। संशोधन में उल्लेख किया गया है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में ऐसे कृषि खाद्य पदार्थों के कीमतों को विनियमित किया जा सकता है। जब कभी कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होगी, तो स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए प्रावधान किया गया है कि इस मूल्य वृद्धि को स्टॉक पर सीमाएं आरोपित करने के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। पहले के वर्ष के दौरान उस वस्तु की कीमत की तुलना पूर्ववर्ती पांच वर्षों में औसत कीमतों के साथ की जाएगी; दोनों संख्याओं में से नीचे का आधार आंकड़ा होगा और यदि खराब होने वाली वस्तु के लिए उस उपज की मौजूदा कीमत 100 प्रतिशत से अधिक होने या खराब नहीं होने वाली वस्तु के लिए उसकी कीमत के 50 प्रतिशत अधिक होने के मामले में, स्टॉक को सीमित करने की लक्ष्मण रेखा होगी। यद्यपि, एक मूल्य श्रृंखला प्रतिभागी की स्थापित क्षमता और एक निर्यातक की निर्यात मांग को इस तरह की अधिरोपित स्टॉक सीमा से छूट रहेगी।

सरकार के पास अब अनेक साधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग वह उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कर सकती हैं। इन उपायों में विभिन्न आवश्यक खाद्य पदार्थों (अनाज, दाल और प्याज) के बफर और निर्यात

पर प्रतिबंध और आयात उदारीकरण जैसे उचित व्यापार नीति का इस्तेमाल शामिल हैं। कीमतों के प्रबंधन के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से हस्तक्षेप कर सकती है।

वैसी परिस्थितियाँ जब स्टॉक सीमा लागू की जा सकती हैं।

संशोधन ऐसे कृषि खाद्य वस्तुओं के स्टॉक पर सीमा आरोपित करने के निर्णय लेने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड उपलब्ध कराता है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 में वैसी स्थितियों का उल्लेख किया गया है जब अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेलों सहित कृषि खाद्य सामग्री की आपूर्ति को विनियमित किया जाएगा। उन स्थितियों में युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा शामिल है। कृषि उपज की स्टॉक सीमा को लागू करने और नियमन के लिए शर्त है एक वर्ष से पहले की कीमत पर या पिछले 5 वर्षों के औसत खुदरा मूल्य की तुलना में बागवानी उपज के खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि; या गैर-कृषि योग्य कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि, जो भी कम हो।

21 अक्टूबर 2015 को रु. 55.6 प्रति किलोग्राम की तुलना में प्याज के मूल्य के वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर 21 अक्टूबर 2019 को रु. 45.53 प्रति किलोग्राम की कीमत और पिछले पाँच वर्षों के औसत खुदरा मूल्यों के आधार पर रु. 25.86 प्रति किलोग्राम को ध्यान में रखते हुए, जमावोरी की जाँच के लिए स्टॉक सीमा लगाकर प्याज की बिक्री को विनियमित करने का निर्णय लिया गया। 23 अक्टूबर 2020 को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई थी। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए 2 मीट्रिक टन तय की गई है।

संशोधन के बाद राज्य सरकार की शक्ति

आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक सीमा लागू करने या जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर कार्रवाई करने की राज्य सरकारों की शक्तियों को आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 सीमित नहीं करता है। राज्यों के पास अभी भी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति, आवागमन, परिवहन आदि को विनियमित करने के लिए परमिट, लाइसेंस आदि जारी करने सहित अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। 29 अक्टूबर, 2020 को जारी परामर्श से यह स्पष्ट है कि सभी राज्यों को मंडियों से प्याज खरीदने के तीन दिन बाद पैकिंग, ग्रेडिंग आदि की अनुमति दी जाए, इससे पहले कि स्टॉक सीमा अधिरोपित करने के आदेश पर कोई कार्रवाई की जाए।

परिशिष्ट-2

बौद्धिक विकास आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का कालानुक्रम

क्रम सं.	आयोग/समिति/रिपोर्ट का नाम	वर्ष	अध्यक्ष/संगठन	अनुशंसाये
1	विपणन अवसंरचना विपणन सुधार पर विशेषज्ञ समिति	2001	श्री. शंकरलाल गुरु	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को स्वाभाविक मुक्त बाजारव्यवस्था से निरस्त करने की आवश्यकता है
2	रोजगार के अवसरों पर टास्क फोर्स	2001	श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया	कृषि को विनियंत्रण का लाभ देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए
3	खाद्य प्रबंधन और कृषि निर्यात मुख्यमंत्रियों की स्थायी समिति	6 जुलाई, 2001 को आहूत समि. ति की बैठक	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन नियंत्रणों का पर केंद्रीय मंत्रियों और प्रगतिशील विखण्डन	आवश्यक वस्तु अधिनयम के अधीन नियंत्रण ों का प्रगतिशील विखण्डन
4	खाद्य प्रबंधन और कृषि निर्यात पर केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की स्थायी समिति	23 मार्च, 2002 को आहूत समि. ति की बैठक		भारत सरकार द्वारा गेहूं, धान, चावल, मोटे अनाज, चीनी तिलहन और खाद्य तेलों के भंडारण, परिवहन और वितरण पर प्रतिबंध हटाने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, समिति ने दालों से संबंधित समान प्रतिबंधों को भी हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया और राज्यों द्वारा अन्य वस्तुओं के संबंध में जारी किए गए विभिन्न नियंत्रण आदेशों को आगे समीक्षा की अनुशंसा की।
5	किसानों पर राष्ट्रीय आयोग: तीसरी रिपोर्ट	2005	प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन	यह बेहतर होगा यदि ईसीए, 1955 को निलंबित कर दिया जाएँ और सरकारी अधिसूचना द्वारा पुनर्जीवित किया जाएँ, यदि किसी विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट वस्तु के लिए सीमित समय के लिए कोई भी आपातकालीन स्थिति विकसित होती है। कुछ वर्षों तक देखने और संतुष्ट होने के बाद कि बदले हुए वातावरण के अधीन, बाजार के संचालन के साथ आपातकालीन स्थितियों से निपटना संभव है, तब अधिनियम को एक बार में ही निरस्त किया जा सकता है।
6	किसानों पर राष्ट्रीय आयोग: चौथी रिपोर्ट	2006	प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन	इस रिपोर्ट के मुताबिक कृषि उत्पाद के विपणन, भंडारण और प्रसंस्करण से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम और राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियमों सहित अन्य विधिक उपकरणों की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में आधुनिक कृषि जरूरतों को पूरा करने और निजी पूंजी को आकर्षित करने में मदद मिल सकें।

क्रम सं.	आयोग/समिति/रिपोर्ट का नाम	वर्ष	अध्यक्ष/संगठन	अनुशंसाये
7	सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रियों की समिति, कृषि विपणन प्रभारी	2013	श्री हर्षवर्धन पाटिल	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन किसानों को निवेश और बेहतर सेवा वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए वास्तविक सेवा प्रदाताओं और काला बाजारों/जमाखोरों के बीच अंतर करने की जरूरत है। एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कृषि उपज के भंडारण और परिवहन पर एक स्थिर और दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि अनुबंध कृषि प्रायोजकों और प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंसधारियों को व्यापार के हित में उनकी आवश्यकता के छह महीने तक की स्टॉक सीमा से छूट दी जाए और दीर्घकालिक निवेश की सुविधा दी जाए।
8	आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 खंड 2	2017	-	ईसीए 1955 के अधीन अधिरोपित स्टॉक की सीमा खेत की उपज और इनकी कीमतों की घटती मांग को समाप्त करती है। ईसीए 1955 के साथ स्टॉक होल्डिंग सीमा को समाप्त करना आदर्श स्थिति होगी, जैसा कि लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों के आदेश 2016 में आवागमन पर प्रतिबंधों को हटाने की परिकल्पना की गई है, जिसके अनुसार परमिट/लाइसेंस की जरूरतों, स्टॉक सीमा और आवागमन पर सभी प्रतिबंधों को हटाया जाना था।
9	कृषि पर स्थायी समिति (सत्रहवीं लोकसभा, 2018-19): कृषि विपणन और साप्ताहिक ग्रामीण हाटों की भूमिका	2019	श्री हुकमदेव	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन किसानों को निवेश नारायण यादव और बेहतर सेवा का लाभ लेने के लिए वास्तविक सेवा प्रदाताओं और काला बाजारों/जमाखोरों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। प्रायोजकों और प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंसधारियों को व्यापार के हित में उनकी आवश्यकता के छह महीने तक की स्टॉक सीमा से छूट दी जा सकती है और लंबी अवधि के निवेश की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

क्रम सं.	आयोग/समिति/रिपोर्ट का नाम	वर्ष	अध्यक्ष/संगठन	अनुशंसाये
10	महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की उच्चधिकार प्राप्त समिति	2019	नीति आयोग	1. वस्तुओं को दो प्राथमिक श्रेणियों में वर्गीकृत करें 2. पहली प्राथमिकता (1)-नियंत्रित वस्तुएं a. दवाएँ-पुरानी बीमारियों, दुर्लभ बीमारी और आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक b. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद-के आयात पर बहुत अधिक निर्भरता, मानवीय व्यापार के लिए सभी व्यापार और तत्काल आवश्यकता को प्रभावित करती है, c. उर्वरक, चाहे अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित। 3. द्वितीय प्राथमिकता (2)-वस्तुओं को विनियंत्रित रखना, नियंत्रण केवल युद्ध की स्थित, रक्षा बलों के सुरक्षित संचालन, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित असाधारण उदाहरण या आपदा के समय और अनियंत्रित मूल्य बढ़ने या आपूर्ति की कमियों को दूर करने के लिए रखा जा सकता है। a. खाद्य वस्तुएं b. कृषि उपज के बीज
11	आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 खंड 1	2020	-	अधिनियम कालदोष-युक्त है क्योंकि यह 1955 में लागू किया गया था जब भारत अकाल और कमी से चिंतित था; यह आज के भारत में अप्रासंगिक है और इसे समाप्त कर देना चाहिए।
12	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020	2020	-	अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल सहित ऐसे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केंद्र सरकार के सरकारी राजपत्र में अधि सूचना द्वारा केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि, गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा में विनियमित किया जा सकता हैं।